

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-280

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

**\*280. श्री जगदानंद सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज राजसहायता योजना) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इसके अंतर्गत पात्रता की पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी हुई हैं और ब्याज राजसहायता की राशि सुधारों संबंधी मानकों में प्राप्त प्रगति से संबद्ध है;
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा इसके अनुपालन का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बिहार राज्य ने भी इस संबंध में कोई समझौता किया है और वह इसका अनुपालन कर रहा है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

राष्ट्रीय विद्युत निधि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

\*\*\*\*\*

(क) : वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक ब्याज सब्सिडी स्कीम राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की गई है। स्कीम के अंतर्गत, वितरण क्षेत्र में संचालन समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पूंजीगत परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान ऋणदाताओं द्वारा मंजूर किए गए 25,000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक मूल्यांकनों के आधार पर 13 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने की पात्रता होगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों को शामिल नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) : जी हां। राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत पात्रता हेतु पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी हुई हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से सम्बद्ध पैरामीटरों में प्राप्त प्रगति से जुड़ी हुई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग का प्रचालनीकरण, यूटिलिटीयों के टर्नएराउंड के लिए व्यापार योजना तैयार करना, राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन, राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों का प्रस्तुतीकरण और प्रशुल्क याचिका को समय पर प्रस्तुत करना पात्रता हेतु पूर्व शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त, पात्र डिस्कॉमों को एटी एण्ड सी हानियों में कमी, राजस्व अंतर (आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)-प्राप्त सब्सिडी के आधार पर वसूला गया औसत राजस्व) में कमी; इक्विटी और बहुवर्षीय प्रशुल्क (एमवाईटी) पर रिटर्न के लिए अंक दिए जाएंगे।

अब तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में प्रचालनरत राज्य डिस्कॉमों ने ही राष्ट्रीय विद्युत निधि का लाभ प्राप्त किया है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2992

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

पाकिस्तान दौरा

†2992. श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय के किसी शिष्टमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दौरे के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी हां। संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में चार (4) अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने दिनांक 09.06.2013 से 12.06.2013 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था।

(ग) : उक्त दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रांसमिशन लिंक की संभावना पर चर्चा की गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3000

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

पन बिजली परियोजनाओं के प्रभाव

†3000. श्री आधि शंकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागीरथी और अलकनन्दा नदियों पर पनप रही पन बिजली परियोजनाओं से भयंकर बाढ़ों जिनसे जान-माल की भारी क्षति हो सकती है, की संभावना में बढ़ोतरी होने के अतिरिक्त पहाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए कोई विशेष उपाय किए जाने की योजना है क्योंकि पर्वतों से पिघलती बर्फ और हिमानियों के द्वारा भारी मात्रा में पानी प्राप्त होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन से आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी नहीं। भागीरथी और अलकनन्दा नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं से पहाड़ों की क्षति होने/बाढ़ आने में संभावना की वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) और (घ) : हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की आयोजना हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण के पश्चात की जाती है जोकि बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न जल सहित पूर्व में देखे गए/अनुमानित अपवाह पर आधारित होता है। तदनुसार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि संभावित अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ) को प्रवाहित करने में सक्षम हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बर्फ एवं ग्लेशियरों के पिघलने वाला जल शामिल है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3001

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

कुन्डा विद्युत परियोजना

†3001. श्री ओ.एस. मणियन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु की कुन्डा विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां दे दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और ये स्वीकृतियां कब तक प्राप्त हो जाएंगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(ग)- तमिलनाडु में 500 मेगावाट कुन्डा पम्पड स्टोरेज स्कीम के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) अक्टूबर, 2006 में स्वीकृति के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) को प्रस्तुत की गई थी । यह स्कीम कावेरी बेसिन में स्थित है और इसे या तो कावेरी जल विवाद अधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होनी है अथवा पक्षकार राज्यों की अंतर्राज्यीय स्वीकृति पर सहमति की आवश्यकता होती है । इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26.12.2007 को सीईए द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार को वापस कर दी गई है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3009

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कोयले का आयात

†3009. प्रहलाद जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयातित कोयले से उत्पादित विद्युत के मामलों, विद्युत के मूल्यों पर हाई-ग्रेड कोयला आयातों का क्या प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि सरकार विद्युत मूल्यों में वृद्धि करने पर सहमत नहीं हो तो क्या विशेष रूप से उन फर्मों जो अपनी परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखने हेतु निम्न-गुणवत्ता वाले कोयले के आयात पर निर्भर हैं, में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-व्यापी प्रयास बाधित होंगे;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का विचार कोयला आयात विद्युत उत्पादनकर्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए राजसहायता प्रदान करने और आयातित कोयले से विद्युत के उत्पादन को और अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए विद्युत प्रशुल्कों में बढ़ोतरी करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : आयातित कोयले की कीमत अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कारकों जैसे कि ताप गुण, नमी घटक, राख घटक, उत्पत्ति का स्रोत, समुद्री भाड़ा इत्यादि पर निर्भर करती है और सप्ताह दर सप्ताह भिन्न-भिन्न होती है। घरेलू कोयले की कीमत भी कोयले के ग्रेड/जीसीवी मूल्य पर निर्भर करते हुए खदान-दर-खदान अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्रों पर आयातित कोयले की भू-लागत समुद्री तट से इसकी दूरी पर निर्भर करती है। चूंकि समुद्री भाड़ा और देश के भीतर परिवहन लागत मुख्य घटक होते हैं जिनका आयातित कोयले की भू-लागत में योगदान होता है, इसलिए उच्च ग्रेड के कोयले के आयात के परिणामस्वरूप परिवहन लागत में बचत होती है।

(ख) और (ग) : सीईआरसी द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार आयातित कोयले की उच्चतर लागत पर पास-थ्रू के लिए विचार किया जाना है। कोयला मंत्रालय ने नवीन कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) का अनुपूरण करते हुए उपयुक्त आदेश जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने सीईआरसी/एसईआरसी को मामला-दर-मामला आधार पर आयातित कोयले की उच्चतर लागत के पास-थ्रू के लिए निर्णय लेने के लिए विद्युत उत्पादक विशेष के अनुरोध पर विचार करने के लिए उपयुक्त परामर्शी जारी किए हैं। विद्युत की कीमत में अनुवर्ती परिवर्तन उपयुक्त विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) : उपर्युक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3013

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रावधान

**3013. राजकुमारी रत्ना सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वास्तविक विद्युत उपभोग से ज्यादा विद्युत उपभोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में ज्यादा प्रभार लिए जाने के साथ-साथ दोषमुक्त मीटर का प्रतिष्ठापन करने के लिए उत्तरदायी कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, संघ सरकार को निजी विद्युत वितरण कंपनियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उन्होंने वास्तविक खपत से अधिक विद्युत की खपत सूचित की हो।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 में अति प्रभार करने वाले और त्रुटिपूर्ण मीटरों की स्थापना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत उपभोक्ता अति प्रभार के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण मीटरों की स्थापना से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) और (6) के अंतर्गत सृजित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3014

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र का कर्ज

†3014. डॉ. संजय सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र पर बहुत अधिक बैंक का बोझ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र की सहायता के लिए कॉर्पोरेट निकायों और बड़े निवेशकों से निवेश आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : जी हां।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान विद्युत क्षेत्र में सभी यूटिलिटियों के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कुल बकाया ऋण (बॉण्डों सहित) निम्नानुसार है:

| <u>वर्ष</u> | <u>बकाया राशि</u><br>(रु. करोड़ में) |
|-------------|--------------------------------------|
| 2009-10     | 2,63,236 रु.                         |
| 2010-11     | 3,28,534 रु.                         |
| 2011-12     | 3,81,134 रु.                         |

नियोजित वृद्धि लक्ष्य और सतत् वृद्धि गति को प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में, विद्युत क्षेत्र के लिए प्रस्तावित निवेश आवश्यकता (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) 15,01,666 करोड़ रुपए है जिसमें से 7,13,827 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से परिकल्पित हैं।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3015

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम

3015. श्री निखिल कुमार चौधरी:

श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

श्रीमती पुतुल कुमारी:

श्री अरविन्द कुमार चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भोजन बनाने तथा विद्युतीकरण के लिए सभी दूरस्थ ग्रामों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या योजना के तहत अनेक ग्रामों को कवर करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को कम कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष ग्रामों हेतु निर्धारित लक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान एक पायलट स्कीम अर्थात् ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत बायोमास के माध्यम से उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ परीक्षण गांवों को लिया गया है। एमएनआरई

ने देश के 10 राज्यों में इस परीक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 79 गांवों/बस्तियों की पहचान की है, जिसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर विद्युतीकृत सुदूर गांवों और बस्तियों में 20 परीक्षण परियोजनाएं शुरू की गई थीं। कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई परीक्षण परियोजनाओं की राज्यवार संख्या निम्नवत है:-

| क्रम सं. | राज्य का नाम | परीक्षण परियोजना की संख्या |
|----------|--------------|----------------------------|
| 1.       | असम          | 14                         |
| 2.       | छत्तीसगढ़    | 15                         |
| 3.       | गुजरात       | 2                          |
| 4.       | झारखण्ड      | 3                          |
| 5.       | मध्य प्रदेश  | 9                          |
| 6.       | महाराष्ट्र   | 10                         |
| 7.       | ओडिशा        | 15                         |
| 8.       | तमिलनाडु     | 4                          |
| 9.       | उत्तराखण्ड   | 4                          |
| 10.      | पश्चिम बंगाल | 3                          |
| कुल      |              | 79                         |

(ग)से(ङ): एमएनआरई ने यह सूचित किया है कि सितम्बर, 2009 में योजना आयोग द्वारा किए गए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान कार्यान्वयन के लिए पहले से ही परियोजनाओं को संकुचित करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि किसी नई परियोजना का समर्थन नहीं किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3029

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि

3029. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में योजना के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राज्य में योजना के अंतर्गत कार्य के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं है। मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियाँ, यथा निर्धारित पिछली किश्त(किश्तों) में राशि के उपयोग के आधार पर और अन्य शर्तों को पूरा करने पर किश्तों में जारी की जाती हैं।

तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिहार राज्य की मंजूर परियोजनाओं के लिए जारी निधियाँ निम्नवत हैं:

| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | जारी की गई संचयी राशि<br>(2010-11 से पूर्व जारी राज सहायता सहित) |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 520.05  | 260.06  | 21.06   | 190.84  | 3687.65  |

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्य निम्नवत हैं:

|   | 2010-11  | 2011-12  | 2012-13  | 2013-14 | संचयी<br>(2010-11 से पूर्व की उपलब्धि शामिल है) |
|---|----------|----------|----------|---------|---|
| गैर-विद्युतीकृत गांव                      | 1,937    | 1,048    | 701      | 112     | 22,842  |
| आंशिक विद्युतीकृत गांव                    | 2,065    | 1,145    | 830      | 114     | 5,211   |
| गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले घर | 6,41,016 | 4,05,736 | 2,01,081 | 69,162  | 24,20,077                                       |

(ग)और(घ): बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति सामान्यतया संतोषजनक है। तथापि, प्रगति निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई थी:-

- विशेष रूप से मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में संस्थापित अवसंरचना की बार-बार चोरी।
- कटिहार जिले में अनुबंध का खराब निष्पादन।
- 16 सब-स्टेशनों के लिए भूमि हस्तांतरण में विलम्ब।
- रेलवे स्वीकृतियों में विलम्ब।
- कुछ जिलों में माओवादी हिंसा सहित कानून एवं व्यवस्था की समस्या।

(ङ): भारत सरकार द्वारा आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं-

- (i) भारत सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।
- (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु सभी राज्यों में जिला समितियों की स्थापना की गई है।
- (iii) राज्य, आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठक का आयोजन भी करते हैं।
- (iv) भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बारंबार समीक्षा बैठकें संचालित करते हैं।
- (v) विद्युत मंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु सभी माननीय संसद सदस्यों को पत्र लिखा है। उनसे परियोजनाओं की अपने स्तर पर निगरानी करने और जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में भी इस पर विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
- (vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची मद के रूप में "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3030

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

एनपीटीआई की क्षमता

†3030. श्री के. सुगुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान देने और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु विशेष अवसर उपलब्ध कराने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट(एनपीटीआई) की नई यूनिटों की स्थापना के लिए तीन प्रस्ताव अलप्पुजा, केरल; शिवपुरी, मध्य प्रदेश; और ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं ।

(ग)और(घ)- "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010" में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणालियों के प्रचालन एवं अनुसंधान(ओ एंड एम) में कार्यरत कार्मिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं । विनियमों में यह भी निर्धारित किया गया है कि उत्पादन स्टेशन, पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली के सभी स्वामी अपने संस्थानों या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थानों में ओ एंड एम में कार्यरत कार्मिकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3047

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

पारेषण— पथों की क्षमता

†3047. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्तमान में स्थित पारेषण—पथों की क्षमता कितनी है और इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या गुजरात सरकार अंतर—क्षेत्रीय पारेषण—पथों में अवरोधों के कारण विद्युत की कमी वाले राज्यों को अधिशेष विद्युत—मात्रा की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं हो रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से ऊर्जा प्रणाली विकास निधि में पड़ी हुई राशि का पर्याप्त अंतर—क्षेत्रीय पारेषण—पथ निर्माण के लिए उपयोग करने का अनुरोध किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): देश में 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार, 2,78,268 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई की पारेषण लाइनें (220 केवी एवं इससे अधिक), अल्टरनेट करंट(एसी) उपकेंद्रों(220केवी एवं इससे अधिक) में 4,69,211 एमवीए की ट्रांसफोर्मेशन क्षमता, 13,500 मेगावाट की उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट(एचवीडीसी) क्षमता तथा 31,850 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता मौजूद है।

पारेषण लाइनें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) के विनियमों/मानकों के अनुरूप प्रचालित की जाती हैं।

(ख)और(ग): गुजरात में स्थित उत्पादन निकाय, अन्य बातों के साथ-साथ, दक्षिणी क्षेत्र इत्यादि की विद्युत की आपूर्ति में कुछ संकुलता को छोड़कर, शेष सम्पूर्ण देश में विभिन्न भार निकायों/ राज्य यूटिलिटियों को विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हैं। इनईडब्ल्यू ग्रिड(उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिलाकर) से दक्षिणी ग्रिड

के बीच अंतर-क्षेत्रीय पारेषण की बाधाओं का समाधान रायचूर-सोलापुर 765 केवी लाइनों के चालू होने के साथ हो जाएगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 तथा संबंधित विनियमों में निर्धारित खुली पहुंच के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी(सीटीयू) से अंतर-क्षेत्रीय/अंतर-राज्य पारेषण पहुंच को प्राप्त करना और विद्युत के आयात के लिए आकलन करना और योजना बनाने का उत्तरदायित्व विद्युत की कमी वाले राज्यों का है।

**(घ)और(ङ) :** गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सृजन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि(पीएसडीएफ) के उपयोग के संबंध में 2011 में पहले ही उत्तर दे दिया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पीएसडीएफ, जिसका गठन सीईआरसी द्वारा सीईआरसी(विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 के द्वारा किया गया है, का अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की स्थापना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3040

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

ऊर्जा की खपत

†3040. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में प्रतिवर्ष विद्युत की कितनी खपत है;
- (ख) देश की विद्युत-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार का देश की सम्पूर्ण जनसंख्या को कम से कम बिजली की एक सुनिश्चित मात्रा मुहैया कराने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : देश में वर्ष 2010-11 के लिए ऊर्जा की कुल खपत 7,13,067 गीगावाट घंटा है और नवीनतम उपलब्ध वर्ष 2010 के लिए विकसित देशों में समतुल्य खपत का ब्यौरा निम्नांकित है:

| क्रम सं. | देश         | गीगावाट घंटा में ऊर्जा खपत |
|----------|-------------|----------------------------|
| 1        | यू.एस.ए.    | 38,01,921                  |
| 2        | जापान       | 10,01,837                  |
| 3        | कनाडा       | 4,69,948                   |
| 4        | ऑस्ट्रेलिया | 2,01,221                   |
| 5        | यू.के.      | 3,28,318                   |

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वेबसाइट।

(ख) से (घ) : देश की विद्युत/इलेक्ट्रिसिटी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और 12वीं योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 2016-17 तक अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए भी, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:



- (i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तीव्रता लाने के लिए 11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट की उपलब्धि की तुलना में 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट (30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) का लक्ष्य प्रस्तावित है ।
- (ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी ।
- (iii) आर्थिक पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास ।
- (iv) 12वीं योजना के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना ।
- (v) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू निर्माण क्षमता का संवर्द्धन ।
- (vi) विद्यमान उत्पादन क्षमता के अनुकूलतम उपयोग हेतु हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस-आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और अनुरक्षण ।
- (vii) स्वदेशी स्रोतों से थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है ।
- (viii) पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार ।
- (ix) उपलब्ध विद्युत के अनुकूलतम उपयोग के लिए अंतर राज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण ।
- (x) हानि कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढीकरण ।
- (xi) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता एवं मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ाना ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3050

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति

†3050. श्री एम.आई. शानवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राष्ट्रीय विद्युत नीति में यथा वर्णित तथा वर्ष 2012 तक प्रति परिवार एक यूनिट विद्युत प्रतिदिन प्रदाय करने के न्यूनतम आधारभूत उपभोग का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का उक्त नीति में वर्णित इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय-सीमा को परिवर्तित करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वर्ष 2004-05 में 612 किलोवाट घंटा से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 813 किलोवाट घंटा हो गई है। इसके अतिरिक्त, नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि, पारेषण और वितरण प्रणाली के संवर्द्धन और आरजीजीवीवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बीपीएल परिवारों के लिए बिजली की पहुँच में सुधार होने के साथ बिजली की उपलब्धता में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3054  
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

†3054. श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में 33,000 करोड़ रु. कीमत की तेरह परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की अवस्थिति क्या है;
- (ग) ऐसी परियोजनाओं से उत्पादित की जाने वाली संभावित विद्युत की प्रमात्रा कितनी है; और
- (घ) इससे देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में किस हद तक सफलता मिलेगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति(सीसीआई) ने 22.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में लगभग 33,000 करोड़ रूपए के निवेश वाली 13 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी । इन परियोजनाओं के स्थान तथा उत्पादित की जाने वाली संभावित विद्युत की मात्रा सहित विवरण अनुबंध पर है। ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने से देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में 4404 मेगावाट तक की कमी आएगी ।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं० 3054 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**पारेषण परियोजनाएं**

| क्रम सं. | परियोजना का नाम  | स्थान-स्थिति           | परियोजना की किस्म      | कुल परियोजना लागत ( करोड़ रुपये में) | परियोजना का संक्षिप्त विवरण   | वर्तमान स्थिति  |
|----------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1.       | कामेंग-बलिपारा 400 केवी डी/सी लाइन 98.25 एचए, (असम)                        | असम एवं अरुणाचल प्रदेश | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 65                                   | लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना(2000 मेगावाट) तथा कामेंग जल विद्युत परियोजना(600 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत की निकासी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक उसके पारेषण को सुविधाजनक बनाना । | चरण-I की मंजूरी 6 जनवरी 2010 को प्राप्त चरण-II का अनुमोदन 24 जनवरी 2013 को जारी । |
| 2.       | कामेंग-बलिपारा 400केवी डी/सी लाइन 133.56 एचए, (अरुणाचल प्रदेश)             | असम एवं अरुणाचल प्रदेश | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | क्रम सं.1 में शामिल                  | लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना(2000 मेगावाट) तथा कामेंग जल विद्युत परियोजना(600 मेगावाट) से उत्पादित विद्युत की निकासी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक उसके पारेषण को सुविधाजनक बनाना । | चरण-I की मंजूरी 29 सितंबर 2010. चरण-II का अनुमोदन 24 जनवरी 2013 को जारी           |
| 3.       | पुलिंग स्टेशन बिलासपुर - रांची 765केवी एस/सी लाइन 302.368 एचए ( छत्तीसगढ़) | छत्तीसगढ़ एवं झारखंड   | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 458                                  | प्रस्तावित डीवीसी तथा मैथान आरबी उत्पादन परियोजनाओं की विद्युत को पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में विभिन्न लाभग्राहियों तक अंतरित करने को सुविधाजनक बनाना ।   | एमओईएफ ने चरण-I का अनुमोदन 28 जनवरी, 2013 को जारी किया.                           |
| 4.       | नेल्लोर-कुर्नुल 765 केवी लाइन, 66 एचए ( आंध्र प्रदेश)                      | आंध्र प्रदेश           | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 625.8                                | आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईपीपी की उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक निकासी  | एमओईएफ ने चरण-I का अनुमोदन 8 जनवरी, 2013 को जारी किया                             |
| 5.       | सिलचर- पूर्वा कंचन बरी ( टीएसईसीएल) 400केवी डी/सी लाइन, 13.8 एचए (असम)     | असम एवं त्रिपुरा       | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 204                                  | पलटाना जीबीपीपी(740 मेगावाट) तथा बोंगाईगांव टीपीएस(750 मेगावाट) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संघटकों तक विद्युत के वितरण को सुविधाजनक बनाना ।   | चरण-I का अनुमोदन 16 जनवरी, 2013 एवं चरण-II का अनुमोदन 8 अप्रैल, 2013.             |
| 6.       | सिलचर- मेलरियट(नई)   | असम एवं मिजोरम         | सार्वजनिक              | 168                                  | पलटाना जीबीपीपी(740 मेगावाट) तथा बोंगाईगांव   | चरण-I का अनुमोदन 17 जनवरी 2013 एवं  |

|     |   |                    |                        |     |   |   |
|-----|---|--------------------|------------------------|-----|---|---|
|     | 400 केवी डी/सी लाइन , 22.7एचए (असम)                                       |                    | (पीजीसीआईएल)           |     | टीपीएस(750 मेगावाट) से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संघटकों तक विद्युत के वितरण को सुविधाजनक बनाना ।   | चरण II का अनुमोदन 25 मार्च 2013 को जारी ।             |
| 7.  | रिहंद- विंध्याचल 765 केवी डी/सी लाइन टीएल, 104.902 एचए ( मध्य प्रदेश)     | उ.प्र. एवं म. प्र. | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 100 | विंध्याचल-IV(2x500 मेगावाट) तथा रिहंद III (2x 500 मेगावाट) उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के संघटकों तक वितरण को सुविधाजनक बनाना । | एमओईएफ ने चरण-I का अनुमोदन 8 जनवरी, 2013 को जारी किया |
| 8.  | रायगढ़ ( तमनार)- रायगढ़( कोटरा) 765 केवी डी/सी लाइन, 25.5एचए ( छत्तीसगढ़) | छत्तीसगढ़          | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 145 | छत्तीसगढ़ में रायगढ़(तमनार) तथा चंपा उत्पादन काम्प्लेक्स में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं से पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्र के लाभग्राहियों तक विद्युत अंतरण करने को सुविधाजनक बनाना ।       | चरण-I का अनुमोदन 17 जनवरी, 2013 को जारी ।             |
| 9.  | सतना-ग्वालियर 765 केवी एससी/सी टीएल, 31.68 एचए ( उत्तर प्रदेश)            | म. प्र. एवं उ.प्र. | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 532 | विंध्याचल-IV(2x500 मेगावाट) तथा रिहंद III (2x 500 मेगावाट) उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के संघटकों तक वितरण को सुविधाजनक बनाना   | चरण-I का अनुमोदन 17 जनवरी, 2013 को जारी ।             |
| 10. | सासन-सतना सीकेटी. II 765केवी एससी/सी 128.553एचए. ( मध्य प्रदेश)           | म. प्र.            | सार्वजनिक (पीजीसीआईएल) | 374 | सासन यूएमपीपी से पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न लाभग्राहियों तक विद्युत अंतरण को सुविधाजनक बनाना ।  | चरण-I का अनुमोदन 30 जनवरी, 2013 को जारी ।             |

#### जल विद्युत परियोजनाएं ( कुल 444 मेगावाट)

|    |  |  |                      |   |   |  |
|----|--|--|----------------------|---|---|--|
| 1. | विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) | जिला-चमोली, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित | सार्वजनिक (टीएचडीसी) | अनुमोदित लागत : मार्च'08 के पीएल पर ₹0. 2491.58 करोड़<br><br>संशोधित लागत अनुमान अक्टूबर'11 के पीएल पर ₹0 3745.08 करोड़<br>सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तुत | परियोजना नदी के सतत प्रवाह पर बनने वाली स्कीम है जिसमें हेलोंग गांव के निकट 65 मीटर उंचे गेटिड डायवर्जन बांध, जल संवहन प्रणाली और हैट गांव के निकट हैड वर्क्स से 20 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित भूमिगत विद्युत गृह का निर्माण परिकल्पित है और इसकी संस्थापित क्षमता 444 मेगावाट (4x 111 मेगावाट) है | राज्य वन्य जीव मंडल (एसबीडब्ल्यूएल) ने प्रस्ताव को 16.03.13 को मंजूरी दे दी है । |
|----|--|--|----------------------|---|---|--|

#### ताप विद्युत परियोजनाएं ( कुल 3960 मेगावाट)

|    |                |        |        |  |                      |              |
|----|----------------|--------|--------|--|----------------------|--------------|
| 1. | नॉर्थ कर्णपुरा | झारखंड | सरकार- |  | ताप विद्युत परियोजना | सीसीआई ने इस |
|----|----------------|--------|--------|--|----------------------|--------------|

|    |  |   |   |                |   |  |
|----|--|---|---|----------------|---|--|
|    | टीपीपी (3x660 मेगावाट)                                 |   | पीएसयू ( एनटीपीसी)  | 15,000 ( लगभग) |   | परियोजना के लिए कोयला लिकेज की बहाली का प्रस्ताव 20.02.13 को अनुमोदित किया । कोयला मंत्रालय ने पत्र जारी किया एनटीपीसी को आगे की कार्यवाही करनी है । |
| 2. | नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण । (3x660 मेगावाट) | बिहार में औरंगाबाद, जिले में नबीनगर के निकट | नबीनगर पावर जेनेरेशन कं. लि. (एनटीपी सी लि. एवं बीएसईबी की जेवी कंपनी) (एनटीपीसी) | 13624.01       | नई परियोजना 2832 एकड़ अपेक्षित(चरण- 3x660 मेगावाट + चरण-II 3x660 मेगावाट) चरण-I (3x660 मेगावाट)के लिए प्रारंभिक आवश्यकता = 1335 एकड़ जेवी बोर्ड द्वारा 05.04.2012 को संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित की गई । | कार्य अवाई किया जा चुका है ।   |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3058

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

नवीकरणीय खरीद दायित्व

†3058. श्री पी. करुणाकरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से आज की तिथि तक अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) के मुद्दे पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का सीईआरसी से इस मुद्दे को शीघ्र निपटाने का अनुरोध करने का प्रस्ताव है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए विनियमों में आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ): विद्युत अधिनियम, 2003 में कुशल और पर्यावरणीय रूप से हितकर नीतियों और उसके साथ संबद्ध अथवा उसके अनुषांगिक मामलों के प्रोत्साहन की व्यवस्था है और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) में अपने-अपने राज्यों में दायित्व वाली कम्पनियों के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) लक्ष्य को विनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों(एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों(जेईआरसी) को अधिदेशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 6.1.2006 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इन

संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा। अधिनियम और नीति में उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) से अधिक दायित्व वाली कम्पनी द्वारा विद्युत की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र(आरईसी) मैकेनिज्म केन्द्र और राज्यों में विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अवसंरचना को प्रभाव में लाने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विनियम 2010 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता देने एवं जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तों पर" पर विनियम जारी किए हैं। बहुत से राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने नवीकरणीय क्रय दायित्व(आरपीओ) को पूरा करने के लिए वैद्य उपकरण के रूप में आरईसी का मान्यता देते हुए विनियम भी तैयार किए हैं।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग समय-समय पर विद्युत अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मामलों पर विचार करता है एवं निर्णय लेता है जिसमें इस संबंध में विनियमों का संशोधन किया जाना/जारी किया जाना शामिल है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3077

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

दीर्घकालिक वायदा संविदा

†3077. श्री पी. कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को बाजार के भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक वायदा संविदाओं को शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या उक्त प्रस्ताव से अतिरिक्त विद्युत के व्यापार में मदद मिलेगी जिसे वर्तमान में द्विपक्षीय संविदाओं के माध्यम से किया जाता है तथा क्या इससे विद्युत मूल्य की स्पष्टता को प्रदान किए जाने की संभावना है जिससे मूल्य जोखिमों के विरुद्ध उत्पादकों को बचाव हेतु वायदा की खरीद/बिक्री की सुविधा मिलती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख) जी हां। विद्युत एक्सचेंजों द्वारा दायर याचिका पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग(सीईआरसी) द्वारा यह कहा गया है कि चूंकि लांगटर्म फारवर्ड कान्ट्रैक्ट, जिसका एक्सचेंज पर व्यापार किया जा सकता है, पर विनियामक क्षेत्राधिकार का मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है, इसलिए इस स्तर पर मामले में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

(ग)और(घ): जी हां। लांगटर्म फारवर्ड कान्ट्रैक्ट उत्पादन और वितरण कंपनियों दोनों के लिए बाजार के भागीदारों को लाभ प्रदान करने की संभाव्यता है। दीर्घकालिक संविदाएं उत्पादकों और वितरण कंपनियों दोनों को बाजार मूल्य की अस्थिरता से इन्सुलेट करती हैं और निश्चितता लाती हैं। चूंकि कारोबार के समय मूल्य और सुपुदर्गी शर्तें पार्टियों के बीच तय की जाती है, इसलिए ये संविदाएं विद्युत क्षेत्र भागीदारों को मात्रात्मक जोखिम (आपूर्ति और प्रापण की सुनिश्चितता) और मूल्य जोखिम (क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए निर्धारित मूल्य की निश्चितता) दोनों की व्यवस्था करने के लिए सहायता करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3082  
जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत आपूर्ति हेतु निधि

3082. श्री प्रेमचंद गुड्डू:

श्री देवराज सिंह पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश को स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) मध्य प्रदेश को जारी कुल निधि में से रीवा क्षेत्र को प्राप्त निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में अटल ज्योति अभियान योजना जैसी राज्य योजनाओं में अपने वित्तीय अंशदान का प्रचार करने के लिए राज्य अनुदानों की महत्ता पर जोर देती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है जहां केन्द्र के अंशदान को प्रचारित नहीं किया गया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और उप-पारेषण एवं वितरण का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार परिशोधित ढंग से उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करने में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है जिसके लिए आर-एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों और वितरण यूटिलिटियों को सहायता प्रदान की जाती है।

### पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आर-एपीडीआरपी)

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, राज्यों को पहले से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है बल्कि परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर मंजूर परियोजनाओं के लिए किशतों में ऋण के रूप में जारी की जाती है। स्कीम के मानदण्डों के अनुसार ये ऋण अनुदान में परिवर्तनीय होते हैं।

अब तक, आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को 457 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। इसमें से, रीवा जिले में रीवा शहर के लिए 9.68 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। रीवा जिले में कोई अन्य शहर आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु पात्र नहीं है।

### राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किसी राज्य के लिए निधियों का पहले से कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया गया है। निधियाँ पूर्व किस्त(किस्तों) में राशि के सूचित उपयोग और अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर मंजूर परियोजनाओं के लिए किशतों में जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए आरईसी द्वारा सब्सिडी के रूप में 808.40 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। संचयी रूप से, मध्य प्रदेश को 1589.48 करोड़ रुपये(2010-11 से पूर्व वितरित सब्सिडी सहित) की राशि वितरित की गई है जिसमें से 31.47 करोड़ रुपये की राशि रीवा जिले को वितरित की गयी है।

(ग)और(घ): जी नहीं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3102

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

हरित ऊर्जा गलियारा

†3102. श्री प्रदीप माझी:

श्री सुरेश कलमाडी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और जर्मनी के बीच दूसरे दौर का अंतर-शासकीय परामर्श हुआ था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों पक्षों के बीच किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;
- (ग) क्या दोनों देश हरित ऊर्जा गलियारा स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जर्मनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विकास, तकनीक और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या हरित ऊर्जा गलियारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन कर राष्ट्रीय ग्रिड की सहायता करेगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : बर्लिन में, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को आयोजित भारत-जर्मनी परामर्श के दौरान, जर्मनी की तरफ से अगले छः वर्षों के लिए भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत हरित ऊर्जा गलियारा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु एक बिलियन यूरो तक के केएफडब्ल्यू से रियायती ऋण की इच्छा व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में दिनांक 22-23 जुलाई, 2013 को आयोजित भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ता की बैठक के दौरान, जर्मन पक्ष हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निम्नलिखित धनराशि हेतु वचनबद्ध है:-

वित्तीय सहायता:- कम ब्याज पर ऋण के तौर पर 250 मिलियन यूरो।

तकनीकी सहायता:-

(i) भारत-जर्मनी ऊर्जा कार्यक्रम हेतु 2 मिलियन यूरो-हरित ऊर्जा गलियारा पर नया घटक; और

(ii) नवीकरणीय ऊर्जाओं का भारतीय विद्युत प्रणाली (आई-आरई) में एकीकरण करने हेतु 2 मिलियन यूरो।

(घ) और (ङ) : हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकरण करने में सहायता मिलेगी। इसमें पवन और सौर परियोजनाओं से विद्युत की निकासी हेतु अंतर-राज्यीय और अन्तःराज्यीय दोनों स्कीमें शामिल हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3108

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को  
निधियां

†3108. श्री सुल्तान अहमद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को निधियां जारी कर दी हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) आज की तिथि के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र में बीपीएल घरों सहित घरों के विद्युतीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2012-13 और 2013-14 के दौरान आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी पावरग्रिड (पीजीसीआईएल), को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत पश्चिम बंगाल की मिदनापुर वेस्ट की पूरक परियोजना के लिए 7.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी की गई है।

(ग) : 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 55,396 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 31.07.2013 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 55,297 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3111

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजनाएं

†3111. श्री तकाम संजय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्वोत्तर (एन.ई.आर.) में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और
- (ख) लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सहित इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा और चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम सहित 14 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे निम्नवत हैं:-

| क्रम सं.                 | परियोजना/क्षमता/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम                         | राज्य               | चालू किए जाने की संभावना |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| <b>केन्द्रीय क्षेत्र</b> |   |                     |                          |
| 1                        | सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना(एचईपी)<br>8×250=2000 मेगावाट<br>एनएचपीसी | अरुणाचल प्रदेश /असम | 2016-18                  |
| 2                        | कामेग एचईपी<br>4×150=600 मेगावाट<br>नीपको                                   | अरुणाचल प्रदेश      | 2016-17                  |
| 3                        | पारे एचईपी<br>2×55=110 मेगावाट<br>नीपको                                     | अरुणाचल प्रदेश      | 2014-15                  |
| 4                        | तुरीयल एचईपी<br>2×30=60 मेगावाट<br>नीपको                                    | मिजोरम              | 2016-17                  |
| <b>राज्य क्षेत्र</b>     |   |                     |                          |
| 1                        | न्यू उमत्रू<br>2×20=40 मेगावाट<br>मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड(एमईसीएल)  | मेघालय              | 2014-15                  |
| <b>निजी क्षेत्र</b>      |   |                     |                          |
| 1                        | तीस्ता-III<br>6×200=1200 मेगावाट<br>तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड                    | सिक्किम             | 2014-15                  |
| 2                        | तीस्ता -VI<br>4×125= 500 मेगावाट<br>लेनको                                   | सिक्किम             | 2015-16                  |
| 3                        | रंगित-IV  | सिक्किम             | 2014-15                  |

|                      |  |         |         |
|----------------------|--|---------|---------|
|                      | 3×40= 120 मेगावाट<br>जल पावर कारपोरेशन लि.                             |         |         |
| 4                    | जोरथांग लूप<br>2×48 = 96 मेगावाट<br>डांस एनर्जी प्रा.लि.               | सिक्किम | 2014-15 |
| 5                    | भासमे<br>3×17= 51 मेगावाट<br>गति इन्फ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा.लि.  | सिक्किम | 2015-16 |
| 6                    | ताशीडिंग<br>2×48.5 = 97 मेगावाट<br>शिगा एनर्जी प्रा.लि.                | सिक्किम | 2017-18 |
| 7                    | डिक्चू<br>3×32=96 मेगावाट<br>स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. | सिक्किम | 2017-18 |
| 8                    | रंगित-II<br>2×33= 66 मेगावाट<br>सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर लि.         | सिक्किम | 2017-18 |
| 9                    | रोगनीचू<br>2×48= 96 मेगावाट<br>मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.            | सिक्किम | 2017-18 |
| Total : 5132 मेगावाट |  |         |         |

(ख) सरकार द्वारा परियोजनाओं को समय से पूरा करने तथा परियोजनाओं को चालू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) द्वारा परियोजनाओं की निगरानी, बकाया मुद्दों को सुलझाने के लिए विकासकर्ताओं के साथ समीक्षा , विद्युत परियोजना निगरानी पैनल(पीपीएमपी) द्वारा स्वतंत्र अनुवर्तन और प्रगति की निगरानी इत्यादि।

अरुणाचल प्रदेश/असम में सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (8×250 मेगावाट) पर कार्य दिसम्बर, 2011 से बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए आन्दोलन के कारण रोक दिया गया था। मंत्रालय ,द्वारा दिसम्बर, 2012 में बांध की डिजाइन संबंधी समीक्षा पैनल (डीडीआरपी) का गठन किया गया था जिसने जून, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और एनएचपीसी को परियोजना आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3114

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के  
अंतर्गत प्रस्ताव

3114. श्री श्रीपाद येसो नाईक:

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत अनुमोदन हेतु सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों जो अभी तक लंबित हैं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कुल 170 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से, 82 प्रस्ताव योग्य पाए गए थे और स्वीकृत किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : 12वीं योजना आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के आधार पर, राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के अनुसार 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों/वासस्थलों के विद्युतीकरण शुरू करने हेतु विचार किया जाना है।

\*\*\*\*\*



लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3114 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त तथा अनुमोदित राज्य-वार परियोजनाएं

| क्रम सं. | राज्य का नाम   | 2010-11 |          | 2011-12 |          | 2012-13 |          | 2013-14 |          | Total   |          |      |     |
|----------|----------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------|-----|
|          |                | प्राप्त | अनुमोदित | प्राप्त | अनुमोदित | प्राप्त | अनुमोदित | प्राप्त | अनुमोदित | प्राप्त | अनुमोदित | वापस | शेष |
| 1        | आंध्र प्रदेश   | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 2        | अरुणाचल प्रदेश | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 3        | असम            | 0       | 0        | 2       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 2       | 0        | 2    | 0   |
| 4        | बिहार          | 0       | 0        | 20      | 11       | 0       | 0        | 0       | 0        | 20      | 11       | 9    | 0   |
| 5        | छत्तीसगढ़      | 0       | 0        | 3       | 2        | 0       | 0        | 0       | 0        | 3       | 2        | 1    | 0   |
| 6        | गुजरात         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 7        | हरियाणा        | 0       | 0        | 3       | 3        | 0       | 0        | 0       | 0        | 3       | 3        | 0    | 0   |
| 8        | हिमाचल प्रदेश  | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 9        | जम्मू व कश्मीर | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 10       | झारखंड         | 0       | 0        | 0       | 0        | 2       | 0        | 0       | 0        | 2       | 0        | 2    | 0   |
| 11       | कर्नाटक        | 0       | 0        | 2       | 2        | 1       | 0        | 0       | 0        | 3       | 2        | 1    | 0   |
| 12       | केरल           | 0       | 0        | 7       | 7        | 1       | 0        | 0       | 0        | 8       | 7        | 1    | 0   |
| 13       | मध्य प्रदेश    | 0       | 0        | 20      | 20       | 0       | 0        | 4       | 4        | 24      | 24       | 0    | 0   |
| 14       | महाराष्ट्र     | 0       | 0        | 1       | 1        | 0       | 0        | 0       | 0        | 1       | 1        | 0    | 0   |
| 15       | मणिपुर         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 16       | मेघालय         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 17       | मिजोरम         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 18       | नागालैंड       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 19       | ओडिशा          | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 20       | पंजाब          | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 21       | राजस्थान       | 30      | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 30      | 0        | 30   | 0   |
| 22       | सिक्किम        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 23       | तमिलनाडु       | 0       | 0        | 3       | 3        | 0       | 0        | 0       | 0        | 3       | 3        | 0    | 0   |
| 24       | त्रिपुरा       | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 25       | उत्तर प्रदेश   | 69      | 0        | 0       | 22       | 0       | 0        | 1       | 6        | 70      | 28       | 42   | 0   |
| 26       | उत्तराखंड      | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    | 0   |
| 27       | पश्चिम बंगाल   | 0       | 0        | 1       | 1        | 0       | 0        | 0       | 0        | 1       | 1        | 0    | 0   |
|          | कुल            | 99      | 0        | 62      | 72       | 4       | 0        | 5       | 10       | 170     | 82       | 88   | 0   |

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3114 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

State-wise projects received and approved during last 3 years & current year

| S. No | Name of State     | 2010-11   |           | 2011-12   |           | 2012-13   |           | 2013-14   |           | Total     |           | Balance |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       |                   | Recei-ved | Appro-ved | Recei-ved | Appro-ved | Recei-ved | Appro-ved | Recei-ved | Appro-ved | Recei-ved | Appro-ved |         |
| 1     | Andhra Pradesh    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 2     | Arunachal Pradesh | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 3     | Assam             | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 2       |
| 4     | Bihar             | 0         | 0         | 20        | 11        | 0         | 0         | 0         | 0         | 20        | 11        | 9       |
| 5     | Chhattisgarh      | 0         | 0         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 2         | 1       |
| 6     | Gujarat           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 7     | Haryana           | 0         | 0         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 3         | 0       |
| 8     | Himachal Pradesh  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 9     | Jammu & Kashmir   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 10    | Jharkhand         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 2       |
| 11    | Karnataka         | 0         | 0         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 3         | 2         | 1       |
| 12    | Kerala            | 0         | 0         | 7         | 7         | 1         | 0         | 0         | 0         | 8         | 7         | 1       |
| 13    | Madhya Pradesh    | 0         | 0         | 20        | 20        | 0         | 0         | 4         | 4         | 24        | 24        | 0       |
| 14    | Maharashtra       | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0       |
| 15    | Manipur           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 16    | Meghalaya         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 17    | Mizoram           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 18    | Nagaland          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 19    | Orissa            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 20    | Punjab            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 21    | Rajasthan         | 30        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30        | 0         | 30      |
| 22    | Sikkim            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 23    | Tamil Nadu        | 0         | 0         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 3         | 0       |
| 24    | Tripura           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 25    | Uttar Pradesh     | 69        | 0         | 0         | 22        | 0         | 0         | 1         | 6         | 70        | 28        | 42      |
| 26    | Uttarakhand       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 27    | West Bengal       | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0       |
| Total |                   | 99        | 0         | 62        | 72        | 4         | 0         | 5         | 10        | 170       | 82        | 88      |

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3128

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

झारखंड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के  
विद्युत संयंत्र

†3128. श्री अजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हजारीबाग, झारखंड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) के विद्युत संयंत्रों की स्थापना में भूमि संबंधी मुद्दों के बारे में स्थानीय असंतोष के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों की मौतें हुई हैं तथा वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उच्च-स्तरीय जांच शुरू की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और उक्त विद्युत संयंत्र के शीघ्र निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): जी, नहीं। एनटीपीसी ने झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया है।

(ग)से(ङ) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3138

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत कंपनियों को हो रही हानि

3138. श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में विद्युत कंपनियां कोयले की और निधियों की कमी के कारण घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सहित कतिपय राज्यों में विद्युत वितरण हानि में तीव्र वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : जी, हां। बहुत से राज्यों की विद्युत यूटिलिटियां ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता और वित्तीय कठिनाईयों के कारण हानियों में चल रही है। ईंधन की कमी कोयला और गैस उपलब्धता दोनों से संबंधित होती है। राज्य वितरण कंपनियों की वित्तीय कठिनाईयां उनकी संचित हानियों मुख्य रूप से आपूर्ति की गई विद्युत की प्रति यूनिट वसूल किए गए औसत राजस्व से अधिक होने के कारण हुई हैं।

देश में वर्ष 2003-04 से 2011-12 तक मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पारेषण एवं वितरण (टी एण्ड डी) हानियों का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ट्रांसफोर्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों (अलेखांकित ऊर्जा सहित) गिरते हुए रुझान को दर्शाता है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3138 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

ट्रांसफोर्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत (अलेखांकित ऊर्जा सहित)

| क्षेत्र                        |   | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र   | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| उत्तरी क्षेत्र                 | 1 | हरियाणा                   | 32.07   | 32.11   | 30.51   | 33.35   | 32.83   | 30.74   | 31.00   | 29.66   | 28.58   |
|                                | 2 | हिमाचल प्रदेश             | 22.76   | 28.90   | 23.55   | 19.77   | 16.98   | 15.51   | 20.52   | 22.22   | 18.62   |
|                                | 3 | जम्मू व कश्मीर            | 45.54   | 41.08   | 44.93   | 51.98   | 55.71   | 58.02   | 67.35   | 63.27   | 61.78   |
|                                | 4 | पंजाब                     | 25.96   | 25.42   | 27.56   | 26.61   | 22.82   | 23.08   | 23.39   | 25.10   | 23.08   |
|                                | 5 | राजस्थान                  | 43.74   | 44.68   | 39.92   | 35.60   | 34.71   | 31.47   | 29.99   | 27.87   | 27.94   |
|                                | 6 | उत्तर प्रदेश              | 35.17   | 34.39   | 32.63   | 33.49   | 28.60   | 30.94   | 33.15   | 34.01   | 32.35   |
|                                | 7 | उत्तराखंड                 | 49.23   | 39.30   | 35.96   | 34.48   | 35.66   | 41.79   | 25.27   | 29.97   | 28.67   |
|                                | 8 | चंडीगढ़                   | 39.06   | 30.37   | 31.64   | 25.13   | 23.77   | 22.36   | 23.19   | 20.25   | 23.67   |
|                                | 9 | दिल्ली                    | 43.66   | 45.40   | 48.61   | 33.00   | 28.65   | 22.22   | 22.09   | 20.04   | 19.32   |
| पश्चिम क्षेत्र                 | 1 | गुजरात                    | 24.20   | 30.43   | 27.91   | 24.87   | 26.13   | 24.07   | 22.77   | 19.24   | 21.81   |
|                                | 2 | मध्य प्रदेश               | 41.44   | 41.30   | 40.07   | 39.24   | 35.64   | 38.46   | 38.32   | 37.62   | 34.47   |
|                                | 3 | छत्तीसगढ़                 | 42.55   | 28.06   | 31.06   | 31.71   | 29.79   | 26.38   | 18.62   | 15.06   | 16.45   |
|                                | 4 | महाराष्ट्र                | 34.12   | 32.40   | 31.60   | 31.64   | 29.79   | 23.88   | 25.16   | 20.68   | 19.99   |
|                                | 5 | दादर व नागर हवेली         | 15.10   | 16.00   | 19.94   | 11.22   | 18.10   | 15.57   | 11.22   | 10.14   | 12.07   |
|                                | 6 | गोवा                      | 45.05   | 35.97   | 19.68   | 20.90   | 21.18   | 17.12   | 16.99   | 15.27   | 12.43   |
|                                | 7 | दमन व दीव                 | 16.88   | 15.56   | 21.58   | 22.09   | 23.29   | 20.06   | 17.19   | 16.83   | 14.50   |
| दक्षिणी क्षेत्र                | 1 | आंध्र प्रदेश              | 27.73   | 23.96   | 20.06   | 18.65   | 22.41   | 19.56   | 18.37   | 16.59   | 17.46   |
|                                | 2 | कर्नाटक                   | 23.29   | 26.08   | 29.77   | 25.91   | 18.87   | 17.03   | 18.76   | 17.34   | 12.66   |
|                                | 3 | केरल                      | 21.63   | 22.48   | 23.50   | 19.11   | 17.81   | 13.16   | 19.59   | 18.29   | 17.23   |
|                                | 4 | तमिलनाडु                  | 17.16   | 19.28   | 18.66   | 19.54   | 18.71   | 18.14   | 18.41   | 13.47   | 16.34   |
|                                | 5 | लक्षदीप                   | 11.85   | 10.20   | 11.19   | 12.87   | 18.05   | 24.87   | 11.59   | 25.65   | 22.47   |
|                                | 6 | पुडुचेरी                  | 11.60   | 18.15   | 18.48   | 18.76   | 5.89    | 12.24   | 11.84   | 12.41   | 14.66   |
| पूर्वी क्षेत्र                 | 1 | बिहार                     | 36.66   | 38.88   | 43.96   | 50.67   | 48.79   | 46.37   | 43.58   | 50.77   | 50.89   |
|                                | 2 | झारखण्ड                   | 25.35   | 19.62   | 26.82   | 26.21   | 23.16   | 24.27   | 22.24   | 17.07   | 14.34   |
|                                | 3 | ओडिशा                     | 57.09   | 44.02   | 45.56   | 40.86   | 39.44   | 42.65   | 37.00   | 42.47   | 44.63   |
|                                | 4 | सिक्किम                   | 54.99   | 50.49   | 10.73   | 26.86   | 36.80   | 38.80   | 39.01   | 33.67   | 31.12   |
|                                | 5 | पश्चिम बंगाल              | 31.01   | 28.54   | 24.84   | 23.64   | 21.29   | 16.79   | 18.33   | 22.40   | 23.19   |
|                                | 6 | अंडोमार निकोबार द्वीपसमूह | 25.95   | 12.63   | 24.32   | 23.10   | 26.86   | 24.16   | 19.76   | 20.68   | 18.16   |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र             | 1 | असम                       | 39.31   | 51.76   | 40.34   | 33.69   | 38.60   | 37.59   | 32.82   | 34.17   | 33.48   |
|                                | 2 | मणिपुर                    | 65.18   | 70.61   | 63.12   | 53.47   | 63.56   | 63.37   | 54.66   | 50.87   | 40.45   |
|                                | 3 | मेघालय                    | 16.73   | 28.35   | 40.19   | 35.34   | 37.62   | 37.45   | 39.06   | 35.77   | 30.97   |
|                                | 4 | नागालैण्ड                 | 55.00   | 48.26   | 58.99   | 54.79   | 55.61   | 58.30   | 56.91   | 48.24   | 41.53   |
|                                | 5 | त्रिपुरा                  | 46.44   | 59.54   | 41.11   | 34.75   | 42.81   | 35.78   | 35.55   | 27.36   | 39.07   |
|                                | 6 | अरुणाचल प्रदेश            | 47.54   | 42.96   | 49.72   | 57.79   | 67.20   | 46.88   | 48.04   | 47.12   | 46.25   |
|                                | 7 | मिजोरम                    | 55.54   | 66.14   | 39.19   | 38.18   | 44.63   | 52.70   | 53.80   | 45.63   | 47.73   |
| अखिल भारत                      |   |                           | 32.53   | 31.25   | 30.42   | 28.65   | 27.20   | 25.47   | 25.39   | 23.97   | 23.65   |
| स्रोत : सीईए.(सामान्य समीक्षा) |   |                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3143

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

3143. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद् (ईएसी) ने देश में विद्युत की कमी की समस्या को उद्भूत किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए ईएसी द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और
- (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- जी नहीं ।

(ग)- उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3144

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

कोयले का आयात

3144. श्री विलास मुत्तेमवार:

श्री पी. करुणाकरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विभिन्न विद्युत कंपनियों के लिए कोयले का आयात करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुल आयातित कोयले के साठ प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल ऐसे विद्युत संयंत्रों में किया जाएगा जिन्हें घरेलू कोयले के उपयोग के लिए निर्मित किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) कोयले के ऐसे आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- जी हाँ । वर्ष 2013-14 के दौरान 36 विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित किया जाने वाला कुल अनुमानित कोयला 82 मिलियन टन(एमटी) है जिसमें घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए 27 विद्युत संयंत्रों के लिए 50 एमटी और 9 विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर तैयार 32 एमटी शामिल है ।

वर्ष 2013-14 के लिए 516 एमटी की कुल घरेलू कोयला माँग की तुलना में, सीआईएल एससीसीएल और कैप्टिव खानों से सुनिश्चित घरेलू कोयले की उपलब्धता केवल 441 एमटी थी जिसमें 75 एमटी की कमी हुई । 75 एमटी घरेलू कोयले की इस कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को आयातित कोयले की समतुल्य ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू(जीसीवी) के अनुसार 50 एमटी आयातित कोयले के आयात की सलाह दी गई है ।

(ङ)- आयातित कोयले का मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ हीट वैल्यू, आर्द्रता घटक, गाद घटक, उत्पत्ति के स्रोत, समुद्री भाड़े आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, 6300 किलो कैलोरी/किलोग्राम जीसीवी आयातित कोयले के लिए 80 अमरीकी डालर(यूएसडी) के औसतन लैंडेड प्राइस को अपनाते हुए, कुल विदेशी विनिमय लगभग 6,560 मिलियन अमरीकी डालर के शामिल होने की संभावना है ।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3148

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

आर-एपीडीआरपी के तहत आबंटन

†3148. डॉ. संजय जायसवाल:

श्री एंटो एंटोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा संस्वीकृत और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्य सरकारों द्वारा निधि के त्वरित उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस स्कीम के तहत सबरीमाला और इसके आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत वितरण किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए अब तक कितनी राशि संवितरित की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम(आर-एपीडीआरपी) का अनुमोदन किया है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-I** पर दी गयी हैं।

(ख): आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, निधियाँ परियोजनाओं के प्रगति के आधार पर और पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर किशतों में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में जारी की जाती हैं। अब तक (22 अगस्त, 2013 के अनुसार), आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 34984.34 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। संचयी रूप से, संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 6999.91 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को संस्वीकृत और वितरित केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कुल राशि **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ग): आर-एपीडीआरपी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और नोडल एजेंसी, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड(पीएफसी) की भूमिका भाग-क के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और जारी करने, डीपीआर प्रपत्रों, परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों को उपलब्ध कराने, भाग-क के लिए परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन और उनकी स्वीकृति के लिए आर-एपीडीआरपी स्थायी समिति को प्रस्तुत करने, दिशानिर्देशों के अनुसार संवितरण की व्यवस्था कराने की है।

विद्युत मंत्रालय और नोडल एजेंसी, पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, सभी राज्यों में आर-एपीडीआरपी परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी भी करते हैं और स्कीम के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले मुद्दों के संबंध में राज्य यूटिलिटीयों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह देते हैं।

(घ)और(ङ): आर-एपीडीआरपी दिशानिर्देशों के अनुसार, 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहर स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के पात्र हैं। चूंकि 2001 में भारत की जनगणना द्वारा जारी की गई शहरों की सूची में 'सबरीमाला' का नाम अंकित नहीं है, अतः यह स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3148 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अनुमोदन प्रदान किया है। आर-एपीडीआरपी का विशेष फोकस परियोजना क्षेत्रों में सतत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक(एटी व सी) हानि कमी के संबंध में युटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर होता है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ली जाती हैं। स्कीम के तीन भाग-भाग(क), भाग(ख) और भाग(ग) हैं।

**भाग(क)-** स्कीम का भाग(क) 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000)से अधिक की जनसंख्या वाले सभी नगरों में विश्वसनीय एवं जाँच योग्य आधारभूत आँकड़ा प्रणाली प्राप्त करने के लिए सूचना तकनीक युक्त प्रणाली की स्थापना के लिए समर्पित है। भाग(क) के अंतर्गत 4 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के लिए स्काडा/डीएमएस की संस्थापना और 350 एमयू से अधिक की वार्षिक निवेश ऊर्जा भी परिकल्पित है। स्काडा प्रणालियाँ विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और दक्षता को सुधारों के लिए वैद्युत पैरामीटरों की वास्तविक निगरानी एवं नियंत्रण को सक्षम बनाएंगी। भाग (क) परियोजनाओं के लिए आरएपीडीआरपी के अंतर्गत 100% ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इसे विद्युत मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों(टीपीआईईए) द्वारा इसकी पूर्णता एवं जाँच होने पर अनुदान में परिवर्तित की जाएगी।

**भाग(ख)-** भाग(ख) में नियमित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं उन्नयन परियोजनाओं का विवरण है। भाग(ख) के लिए बल सतत आधार पर एटी एंड सी हानि कमी पर है। भाग (ख) पर उन नगरों के लिए मंजूरी हेतु विचार किया जाता है जहाँ भाग(क) (आईटी) का कार्यान्वयन किया जाता है। 25% ऋण भाग(ख) परियोजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और 50% तक की योजना लागत पाँच वर्षों (वर्ष दर वर्ष के पश्चात् शुरू करते हुए प्रथम वर्ष के साथ जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की आधारभूत आँकड़ा प्रणाली(भाग-क) स्थापित है) के लिए 15% स्तर पर एटी एंड सी हानि स्तर को बनाए रखने की सीमा पर और आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार तीन वर्षों की मँजूरी के भीतर परियोजना के पूरा होने पर निर्भर करते हुए अनुदान में परिवर्तनीय होता है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए, भाग-ख परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा 90% ऋण प्रदान किया जाता है और समग्र भारत सरकार का ऋण पाँच वर्षों(वर्ष दर वर्ष के पश्चात् शुरू होते हुए प्रथम वर्ष के साथ जिसमें संबंधित परियोजना क्षेत्र की आधारभूत आँकड़ा प्रणाली(भाग-क) स्थापित है) के लिए 15% स्तर पर एटी एंड सी हानि कमी को बनाए रखने की सीमा पर निर्भर करते हुए पाँच भागों में अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। 15% से अधिक के एटी एंड सी हानि स्तर को प्राप्त करने से उस वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुदान को ऋण परिवर्तन करने में कम हो जाएगा। भाग(ख) के लिए 10% तक की योजना लागत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान में

परिवर्तित की जा सकती है और 18% तक की योजना लागत को विशेष श्रेणी राज्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है ।

### भाग(ग)

आरएपीडीआरपी में स्कीम के भाग(ग) के माध्यम से यूटिलिटी कार्मिकों के क्षमता निर्माण और प्रैन्चाइजियों के विकास का भी प्रावधान है । भाग(ग) के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड सहित नवीनीकरण अपनाने वाली कुछ पायलट परियोजनाएँ भी परिकल्पित हैं ।

### स्कीम परिव्यय

यह कार्यक्रम 51,577 करोड़ रुपये का है । भारत सरकार से कुल ऋण का अनुमान 31,577 करोड़ रुपये लगाया गया है । ब्यौरा निम्नवत हैं-

- परियोजनाओं के भाग(क) और भाग(ख) के लिए 50,000 करोड़ रुपये ।
- भाग(क) के कार्यकलापों के लिए 10,000 करोड़ रुपये ।
- भाग(ख) कार्यो के लिए 40,000 करोड़ रुपये । (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी के भाग(ख) के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपये तक की स्कीमों को अलग से मँजूरी दी है । इसमें से, 20,000 करोड़ रुपये तक की राशि परियोजना क्षेत्रों में युटिलिटीयों द्वारा एटी एंड सी हानियों को कम करने की सीमा पर निर्भर करते हुए अनुदान में परिवर्तित की जाएगी । )
- विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सक्षम कार्यो के लिए 1,177 करोड़ रुपये(नोडल एजेंसी शुल्क), क्षमता निर्माण, नई नवीनताओं को अपनाने वाली पायलट परियोजनाएँ)
- आधारभूत आँकड़ों की स्थापना और एटी एंड सी हानियों में लक्षित कमी को प्राप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्रों के यूटिलिटी स्टाफ को प्रोत्साहन के लिए 400 करोड़ रुपये ।

### नोडल एजेंसी

विद्युत वित्त निगम को विद्युत मंत्रालय द्वारा स्कीम के प्रचालनीकरण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । नोडल एजेंसी ने प्रक्रिया परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है और सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसियों, स्काडा/डीएमएस परामर्शदाताओं, स्काडा कार्यान्वयन एजेंसियों और तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों-ऊर्जा लेखा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध किया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 3148 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वर्षवार स्वीकृति एवं संवितरण  
सभी राशि करोड़ रुपये में

( 22-अगस्त-13 के अनुसार)

| राज्य               | यूटिलिटी            | स्वीकृतियां            |                        |                        |                        | संवितरण            |                    |                    |                    |
|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     |                     | स्वीकृतियां<br>2010-11 | स्वीकृतियां<br>2011-12 | स्वीकृतियां<br>2012-13 | स्वीकृतियां<br>2013-14 | संवितरण<br>2010-11 | संवितरण<br>2011-12 | संवितरण<br>2012-13 | संवितरण<br>2013-14 |
| हरियाणा             | कुल                 | 230.69                 | 442.89                 | 0.00                   | 238.15                 | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| हिमाचल प्रदेश       | एचपीएसईबी           | 337.52                 | 16.79                  | 0.00                   | 0.00                   | 101.25             | 0.00               | 29.59              | 0.00               |
| जम्मू व कश्मीर      | जे एंड के<br>पीडीडी | 17.50                  | 1718.16                | 0.00                   | 0.00                   | 5.25               | 515.45             | 0.00               | 0.00               |
| पंजाब               | पीएसईबी             | 0.00                   | 1050.26                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 207.41             | 10.26              | 13.50              |
| चंडीगढ़             | ईडी                 | 33.34                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| राजस्थान            | कुल                 | 1448.62                | 0.00                   | -4.40                  | 0.00                   | 252.21             | 0.00               | 36.07              | 0.00               |
| उ. प्र.             | कुल                 | 1831.70                | 1732.59                | 1824.44                | 683.24                 | 274.76             | 60.33              | 302.00             | 84.61              |
| उत्तराखंड           | यूपीसीएल            | 0.00                   | 409.18                 | 191.46                 | 0.00                   | 0.00               | 33.59              | 117.79             | 0.00               |
| कुल यूटिलिटी(उत्तर) |                     | 3899.37                | 5369.87                | 2011.50                | 921.39                 | 633.48             | 816.78             | 495.71             | 98.11              |
| म. प्र.             | कुल                 | 1709.09                | 70.03                  | 44.91                  | 0.00                   | 254.24             | 41.62              | 38.51              | 0.00               |
| गुजरात              | कुल                 | 259.11                 | 5.36                   | -39.77                 | 0.00                   | 190.62             | 0.00               | 55.99              | 28.79              |
| छत्तीसगढ़           | सीएसईबी             | 0.00                   | 751.30                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 0.00               | 118.85             | 0.00               |
| महाराष्ट्र          | एमएसईडीसीएल         | 1793.51                | 1682.31                | 154.54                 | 0.00                   | 197.09             | 344.02             | 125.01             | 0.00               |
| गोआ                 | गोआ इडी             | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| कुल (पश्चिम)        |                     | 3761.71                | 2509.00                | 159.68                 | 0.00                   | 641.95             | 385.63             | 338.36             | 28.79              |
| आंध्र प्र.          | कुल                 | 876.36                 | 65.15                  | 238.08                 | 71.05                  | 124.32             | 35.05              | 11.90              | 84.44              |
| कर्नाटक             | कुल                 | 149.30                 | 0.00                   | -162.40                | 0.00                   | 100.83             | 41.75              | 0.00               | 68.24              |
| केरल                | केएसईबी             | 926.33                 | 28.99                  | 206.13                 | 0.00                   | 75.51              | 80.25              | 30.92              | 0.00               |
| तमिलनाडु            | टीएनईबी             | 3357.82                | 0.00                   | -1088.68               | 0.00                   | 526.23             | 4.77               | 0.00               | 0.00               |
| पुडुचेरी            | पीडी                | 0.00                   | 0.00                   | 98.67                  | 0.00                   | 0.00               | 4.50               | 0.00               | 0.00               |
| कुल (दक्षिणी)       |                     | 5309.81                | 94.14                  | -708.20                | 71.05                  | 826.89             | 166.31             | 42.82              | 152.68             |
| बिहार               | बीएसईबी             | 0.00                   | 647.18                 | 530.05                 | 0.00                   | 0.00               | 0.00               | 82.53              | 0.00               |
| झारखंड              | जेएसईबी             | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 18.18              | 0.00               | 0.00               |
| प. बंगाल            | डब्ल्यूईडीसीएल      | 551.41                 | 161.15                 | 7.28                   | 0.00                   | 82.05              | 45.87              | 55.87              | 0.00               |
| कुल (पूर्व)         |                     | 551.41                 | 808.33                 | 537.33                 | 0.00                   | 82.05              | 64.05              | 138.40             | 0.00               |
| असम                 | एपीडीसीएल           | 0.60                   | 665.87                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00               | 124.15             | 75.79              | 0.00               |
| अरुणाचल             | पीडी                | 37.68                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 11.30              | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| नागालैंड            | पीडी                | 34.58                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 10.37              | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| मणिपुर              | पीडी                | 0.00                   | 0.00                   | 398.87                 | 0.00                   | 9.47               | 0.00               | 119.66             | 0.00               |
| मेघालय              | एमईएसईबी            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 159.73                 | 10.19              | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| मिजोरम              | पीडी                | 0.86                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 10.54              | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| सिक्किम             | पीडी                | 68.46                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 20.54              | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| त्रिपुरा            | पीडी                | 0.82                   | 148.26                 | 16.83                  | 0.00                   | 0.00               | 43.07              | 6.71               | 0.00               |
| कुल (पूर्वोत्तर)    |                     | 143.00                 | 814.13                 | 415.70                 | 159.73                 | 72.41              | 167.22             | 202.16             | 0.00               |
| कुल                 |                     | 13665.30               | 9595.47                | 2416.01                | 1152.17                | 2256.78            | 1600.00            | 1217.45            | 279.58             |

टिप्पणी: परियोजना लागत जो ऋणात्मक दिखाए गए हैं आर-एपीडीआरपी स्टीयरिंग कमिटी के 27वीं मीटिंग में जो 18 फरवरी 2013 को सचिव(विद्युत) की अध्यक्षता में की गई थी द्वारा निरस्त कर दी गई है

( स्रोत: पीएफसी)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3149

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

†3149. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऐसे विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा इसे नया जीवन देने के लिए सुधार लागू किए हैं जहां निवेश रुक गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे विद्यमान प्रतिस्पर्धी रूप से बोली लगायी गई परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता से जुड़े मुद्दों का समाधान करे;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र में निवेश के वातावरण में सुधार लाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी और इससे देश में अधिक विद्युत उत्पादन को सुकर बनाने में किस हद तक मदद मिलेगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): विद्युत अधिनियम, 2003 ने विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार एवं उपयोग और विद्युत उद्योग के विकास में प्रेरक उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने , उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत टैरिफ के यौक्तिकीकरण, सब्सिडी से संबंधित पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करने, कुशल और पर्यावरणीय रूप से हितकर नीतियों को प्रोत्साहित करने आदि और उससे आनुषांगिक मामलों के लिए कानूनों का समेकन किया है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को आर्थिक दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2006 में प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है। वितरण लाइसेन्सियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति और पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश एवं मानक बोली दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, जल विद्युत नीति भी अधिसूचित की गई है। इसके अलावा, एपीडीआरपी और आरएपीडीआरपी स्कीमों के माध्यम से वितरण सुधार शुरू किए गए हैं। सार्वजनिक और निजी विद्युत यूटिलिटीयों को अपने वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए सुधारों से सम्बद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत निधि(एनईएफ) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**(ग)से(ड):** सरकार ने घरेलू कोयले की ईंधन जोखिम उपलब्धता, कोयला निर्यात करने वाले देशों में ईंधन की कीमतों में परिवर्तन के कारण मूल्य जोखिम, कोयला ब्लॉकों से संबंधित पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति में विलम्ब/अस्वीकृति आदि के सम्बद्ध में विभिन्न पणधारियों से संदर्भ प्राप्त किए थे। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, विद्युत मंत्रालय मानक बोली दस्तावेजों को संशोधित करने की प्रक्रिया में है जोकि भावी परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

आयातित कोयले की अधिक लागत पर सीईआरसी, द्वारा सुझाए गए तौर तरीकों के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाना है। कोयला मंत्रालय ने नई कोयला वितरण नीति(एनसीडीपी) का समर्थन करते हुए उपर्युक्त आदेश जारी किए है। विद्युत मंत्रालय ने मामला-दर-मामला आधार पर आयातित कोयले की अधिक लागत की स्वीकृति के लिए निर्णय लेने हेतु व्यक्तिगत विद्युत उत्पादकों के अनुरोध पर विचार करने के लिए सीईआरसी/एसईआरसी को उपयुक्त परामर्शिका जारी की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3152

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों का निर्माण

3152. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि के अनुसार निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों की स्थिति क्या है;
- (ख) उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो अपने निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं;
- (ग) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो अपनी निर्धारित समय-सीमा से पांच वर्षों से अधिक समय से पीछे चल रही हैं;
- (घ) इन परियोजनाओं के अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चलने के मुख्य कारण क्या हैं; और
- (ङ) इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): देश में निर्माणाधीन और अपने नियत कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाओं सहित ताप और जल विद्युत परियोजनाओं(25 मेगावाट से अधिक) की स्थिति का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ग): निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं जो अपने निर्धारित समय से पांच वर्षों से अधिक पीछे चल रही हैं उनका विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है। कोई भी ताप विद्युत परियोजना पांच वर्षों से अधिक अपने निर्धारित समय से पीछे नहीं चल रही है।



(घ): इन परियोजनाओं के निर्धारित समय से पीछे होने के प्रमुख कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन संबंधी मामले, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी मामले, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था संबंधी समस्या और स्थानीय मुद्दे, संविदात्मक समस्याएं, परियोजना के डिजाइन में परिवर्तन, भूगर्भीय घटनाएं, दुर्गम भूमार्ग एवं कम पहुंच इत्यादि शामिल हैं।

(ङ): सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की उच्च स्तर पर गहन निगरानी, भेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले विद्युत उपकरणों से जुड़े मामलों की आवधिक समीक्षा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सुपर क्रिटिकल बायलर और टरबाइन जनरेटर्स के विनिर्माण के लिए कई नए संयुक्त उद्यमों का गठन, वेब आधारित निगरानी प्रणाली की शुरूआत, संयंत्रों की शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता का विस्तार करने के लिए पणधारियों को सुग्राही बनाना शामिल है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| देश में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्टों की स्थिति |                            |           |                   |                                 |                                     |
|--|----------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| राज्य  | परियोजना का नाम            | इकाई सं.  | क्षमता ( मेगावाट) | चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम | चालू किए जाने का अनुमानित कार्यक्रम |
| <b>केंद्रीय क्षेत्र</b>                              |                            |           |                   |                                 |                                     |
| असम  | बोगाईगांव टीपीपी           | यू-1      | 250               | जनवरी-11                        | जुलाई-14                            |
|  |                            | यू-2      | 250               | मई-11                           | मई-15                               |
|  |                            | यू-3      | 250               | सितंबर-11                       | अक्टूबर-15                          |
| बिहार  | बाढ़ एसटीपीपी- I           | यू-1      | 660               | अक्टूबर -13*                    | जून-15                              |
|  |                            | यू-2      | 660               | अप्रैल-14*                      | अप्रैल-16                           |
|  |                            | यू-3      | 660               | अक्टूबर -14*                    | फरवरी-17                            |
| बिहार  | बाढ़ एसटीपीपी-II           | यू-4      | 660               | दिसंबर-12                       | अक्टूबर-13                          |
|  |                            | यू-5      | 660               | अक्टूबर -13                     | सितंबर-14                           |
| बिहार  | मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं. | यू-3      | 195               | अक्टूबर -12                     | मार्च-14                            |
|  |                            | यू-4      | 195               | जनवरी-13                        | सितंबर-14                           |
| बिहार  | नबी नगर टीपीपी             | यू-1      | 250               | मई-13                           | जुलाई-14                            |
|  |                            | यू-2      | 250               | सितंबर-13                       | जनवरी-15                            |
|  |                            | यू-3      | 250               | जनवरी-14                        | जुलाई-15                            |
|  |                            | यू-4      | 250               | मई-14                           | जनवरी-16                            |
| बिहार  | न्यू नबी नगर टीपीपी        | यू-1      | 660               | जनवरी-17                        | फरवरी-17                            |
|  |                            | यू-2      | 660               | जुलाई-17                        | अगस्त-17                            |
|  |                            | यू-3      | 660               | जनवरी-18                        | फरवरी-18                            |
| छत्तीसगढ़  | लारा टीपीएस                | यू-1      | 800               | नवंबर-16                        | मार्च-17                            |
| छत्तीसगढ़  | लारा टीपीएस                | यू-2      | 800               | मई-17                           | सितंबर-17                           |
| झारखण्ड  | बोकारो टीपीएस 'क' एक्स.    | यू-1      | 500               | दिसंबर-11                       | अक्टूबर-14                          |
| कर्नाटक  | कुडगी एसटीपीपी फेज-I       | यू-1      | 800               | दिसंबर-15                       | जून-16                              |
|  |                            | यू-2      | 800               | जून-16                          | दिसंबर-16                           |
|  |                            | यू-3      | 800               | दिसंबर-16                       | जून-17                              |
| महाराष्ट्र   | मोदा एसटीपीपी फेज -II      | यू-3      | 660               | मार्च-16                        | मई -16                              |
|  |                            | यू-4      | 660               | सितंबर-16                       | नवंबर-16                            |
| महाराष्ट्र   | सोलापुर एसटीपीपी           | यू-1      | 660               | मई-16                           | मई-16                               |
|  |                            | यू-2      | 660               | नवंबर-16                        | नवंबर-16                            |
| म.प्र.   | विंध्याचल टीपीपी फेज -V    | यू-13     | 500               | अगस्त-15                        | जनवरी-16                            |
| म.प्र.   | गदरवारा                    | यू-1      | 800               | मार्च-17                        | अप्रैल-17                           |
| म.प्र.   | गदरवारा                    | यू-2      | 800               | सितंबर-17                       | अक्टूबर-17                          |
| तमिलनाडु   | नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.  | यू-2      | 250               | जून-09                          | मार्च-14                            |
| तमिलनाडु   | तूतीकोरीन जेवी             | यू-1      | 500               | मार्च-12                        | फरवरी-14                            |
|  |                            | यू-2      | 500               | अगस्त-12                        | अप्रैल-14                           |
| तमिलनाडु   | वल्लुर टीपीपी फेज-II जेवी  | यू-3      | 500               | दिसंबर-12                       | फरवरी-14                            |
| त्रिपुरा   | मोनाचक सीसीपीपी            | जीटी      | 61.3              | मार्च-13                        | जनवरी-14                            |
|  |                            | एसटी      | 39.7              | जुलाई-13                        | मई-14                               |
| त्रिपुरा   | त्रिपुरा गैस               | मॉड्यूल-2 | 363.3             | मार्च-12                        | अक्टूबर-13                          |
| उ.प्र.   | रिहंद टीपीपी- III          | यू-6      | 500               | दिसंबर-12                       | नवंबर-13                            |
| उ.प्र.   | मेजा एसटीपीपी              | यू-1      | 660               | जून-16                          | जून-16                              |
|  |                            | यू-2      | 660               | दिसंबर-16                       | दिसंबर-16                           |
| प.बं.  | रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I    | यू-1      | 600               | फरवरी-11                        | मार्च-14                            |
|  |                            | यू-2      | 600               | मई-11                           | जुलाई-14                            |
| प.बं.  | रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II   | यू-1      | 660               | अगस्त-17                        | 17-18                               |
|  |                            | यू-2      | 660               | जनवरी-18                        | 17-18                               |
| <b>राज्य क्षेत्र</b>                                 |                            |           |                   |                                 |                                     |
| आंध्र प्र.   | दामोदरम संजीवेय्या टीपीएस  | यू-1      | 800               | जुलाई-12                        | फरवरी-14                            |

|                     |                                  |         |     |            |            |
|---------------------|----------------------------------|---------|-----|------------|------------|
|                     |                                  | यू-2    | 800 | जनवरी-13   | अक्टूबर-14 |
| आंध्र प्र.          | काकतिया टीपीपी एक्सटें.          | यू-1    | 600 | जुलाई-12   | मई-14      |
| आंध्र प्र.          | रायलसीमा-III यू-6                | यू-6    | 600 | जुलाई-14   | दिसंबर-15  |
| असम                 | नामरूप सीसीजीटी                  | जीटी    | 70  | सितंबर-11  | मार्च-14   |
|                     |                                  | एसटी    | 30  | जनवरी-12   | जून-14     |
| छत्तीसगढ़           | मारवा टीपीपी                     | यू-1    | 500 | सितंबर-12  | दिसंबर-13  |
|                     |                                  | यू-2    | 500 | जुलाई-12   | मार्च-14   |
| दिल्ली              | प्रगति सीसीजीटी-III              | एसटी-2  | 250 | नवंबर-10   | सितंबर-13  |
| गुजरात              | पीपावाव सीसीपीपी                 | ब्लॉक-1 | 351 | सितंबर-10  | दिसंबर-13  |
| गुजरात              | सिक्का टीपीपी एक्सटें.           | यू-3    | 250 | अक्टूबर-13 | अप्रैल-14  |
|                     |                                  | यू-4    | 250 | जनवरी-14   | जुलाई-14   |
| गुजरात              | भावनगर सीएफबीसी टीपीपी           | यू-1    | 250 | अक्टूबर-13 | सितंबर-14  |
|                     |                                  | यू-2    | 250 | दिसंबर-13  | दिसंबर-14  |
| महाराष्ट्र          | चंद्रपुर टीपीएस                  | यू-8    | 500 | जून-12     | फरवरी-14   |
|                     |                                  | यू-9    | 500 | सितंबर-12  | जून-14     |
| महाराष्ट्र          | कोराडी टीपीएस एक्सपें.           | यू-8    | 660 | दिसंबर-13  | मार्च-14   |
|                     |                                  | यू-9    | 660 | जून-14     | अक्टूबर-14 |
|                     |                                  | यू-10   | 660 | दिसंबर-14  | अप्रैल-15  |
| महाराष्ट्र          | पार्ली टीपीएस एक्सपें.           | यू-8    | 250 | जनवरी-12   | फरवरी-14   |
| म.प्र.              | मालवा टीपीपी (श्री सिगाजी)       | यू-1    | 600 | जून-12     | सितंबर-13  |
|                     |                                  | यू-2    | 600 | अक्टूबर-12 | मार्च-14   |
| म.प्र.              | सतपुरा टीपीएस एक्सटें            | यू-11   | 250 | अप्रैल-12  | अक्टूबर-13 |
| राजस्थान            | छाबरा टीपीपी एक्सटें             | यू-3    | 250 | मई-11      | सितंबर-13  |
| राजस्थान            | छाबरा टीपीपी एक्सटें             | यू-4    | 250 | जुलाई-11   | मार्च-14   |
| राजस्थान            | कालीसिंघ टीपीएस                  | यू-1    | 600 | अगस्त-11   | सितंबर-13  |
|                     |                                  | यू-2    | 600 | मार्च-12   | फरवरी-14   |
| राजस्थान            | रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें. -III    | एसटी    | 50  | अक्टूबर-11 | दिसंबर-13  |
| तमिलनाडु            | नार्थ चेन्नई एक्टें.             | यू-1    | 600 | अप्रैल-11  | सितंबर-13  |
| उ.प्र.              | अनपारा डी                        | यू-6    | 500 | मार्च-11   | अप्रैल-14  |
|                     |                                  | यू-7    | 500 | जून-11     | जुलाई-14   |
| प. बं.              | दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें         | यू-8    | 250 | दिसंबर-13  | मार्च-14   |
| प. बं.              | सागरदिघी टीपीपी-II               | यू-3    | 500 | जुलाई-14   | अक्टूबर-14 |
|                     |                                  | यू-4    | 500 | अक्टूबर-14 | फरवरी-15   |
| <b>निजी क्षेत्र</b> |                                  |         |     |            |            |
| आंध्र प्र.          | भवनपाडु टीपीपी फेज I             | यू-1    | 660 | अक्टूबर-13 | अक्टूबर-15 |
|                     |                                  | यू-2    | 660 | मार्च-14   | मार्च-16   |
| आंध्र प्र.          | एनसीसी टीपीपी                    | यू-1    | 660 | मार्च-15   | अप्रैल-16  |
|                     |                                  | यू-2    | 660 | जून-15     | अगस्त-16   |
| आंध्र प्र.          | पेनमपुरम टीपीपी                  | यू-1    | 660 | मई-14      | सितंबर-14  |
|                     |                                  | यू-2    | 660 | अगस्त-14   | दिसंबर-14  |
| आंध्र प्र.          | सिम्हापुरी एनर्जी प्रा लि फेज-II | यू-3    | 150 | दिसंबर-11  | नवंबर-13   |
|                     |                                  | यू-4    | 150 | फरवरी-12   | फरवरी-14   |
| आंध्र प्र.          | थामिनापटनम टीपीपी-II             | यू-3    | 350 | मई-12      | मार्च-15   |
|                     |                                  | यू-4    | 350 | अगस्त-12   | जून-15     |
| आंध्र प्र.          | वैजाग टीपीपी                     | यू-1    | 525 | जून-13     | फरवरी-14   |
|                     |                                  | यू-2    | 525 | सितंबर-13  | जून-14     |
| बिहार               | जस इंफ्रा. टीपीएस                | यू-1    | 660 | अगस्त-14   | दिसंबर-16  |
|                     |                                  | यू-2    | 660 | फरवरी-14   | 16-17      |
|                     |                                  | यू-3    | 660 | अप्रैल-15  | 17-18      |
|                     |                                  | यू-4    | 660 | अगस्त-15   | 17-18      |
| छत्तीसगढ़           | अकलतारा टीपीपी (नैयारा)          | यू-2    | 600 | अगस्त-12   | दिसंबर-13  |
|                     |                                  | यू-3    | 600 | दिसंबर-12  | जून-14     |
|                     |                                  | यू-4    | 600 | अप्रैल-13  | अगस्त-14   |
| छत्तीसगढ़           | अवंथा भंडार टीपीएस               | यू-1    | 600 | जुलाई-12   | अक्टूबर-13 |
| छत्तीसगढ़           | बराघरा टीपीपी                    | यू-1    | 600 | मार्च-13   | अक्टूबर-13 |
|                     |                                  | यू-2    | 600 | जुलाई-13   | मार्च-14   |
| छत्तीसगढ़           | बालको टीपीपी                     | यू-1    | 300 | फरवरी-11   | मार्च-14   |

|            |                                |      |     |            |            |
|------------|--------------------------------|------|-----|------------|------------|
|            |                                | यू-2 | 300 | नवंबर-10   | फरवरी-14   |
| छत्तीसगढ़  | बंदाखर टीपीपी                  | यू-1 | 300 | दिसंबर-12  | मई-14      |
| छत्तीसगढ़  | बिजकोट टीपीपी                  | यू-1 | 300 | जनवरी-14   | नवंबर-14   |
|            |                                | यू-2 | 300 | अप्रैल-14  | फरवरी-15   |
|            |                                | यू-3 | 300 | जुलाई-14   | सितंबर-15  |
|            |                                | यू-4 | 300 | अक्टूबर-14 | जनवरी-16   |
| छत्तीसगढ़  | लैंको अमरकंटक टीपीएस-II        | यू-3 | 660 | जनवरी-13   | अक्टूबर-14 |
|            |                                | यू-4 | 660 | मार्च-13   | मार्च-15   |
| छत्तीसगढ़  | रायखेड़ा टीपीपी                | यू-1 | 685 | सितंबर-13  | जून-14     |
|            |                                | यू-2 | 685 | जनवरी-14   | नवंबर-14   |
| छत्तीसगढ़  | सिधीतराय टीपीपी                | यू-1 | 600 | जून-14     | मार्च-15   |
|            |                                | यू-2 | 600 | सितंबर-14  | अगस्त-15   |
| छत्तीसगढ़  | स्वास्तिक टीपीपी               | यू-1 | 25  | जून-12     | दिसंबर-13  |
| छत्तीसगढ़  | तमनार टीपीपी (रायगढ़)          | यू-1 | 600 | जनवरी-14   | अक्टूबर-13 |
|            |                                | यू-2 | 600 | अप्रैल-14  | मार्च-14   |
|            |                                | यू-3 | 600 | सितंबर-14  | फरवरी-15   |
|            |                                | यू-4 | 600 | नवंबर-14   | अगस्त-15   |
| छत्तीसगढ़  | टीआरएन एनर्जी टीपीपी           | यू-1 | 300 | दिसंबर-13  | अगस्त-14   |
|            |                                | यू-2 | 300 | अप्रैल-14  | दिसंबर-14  |
| छत्तीसगढ़  | उंचपींडा टीपीपी                | यू-1 | 360 | मई-12      | जून-14     |
|            |                                | यू-2 | 360 | नवंबर-12   | नवंबर-14   |
|            |                                | यू-3 | 360 | फरवरी-13   | जनवरी-15   |
|            |                                | यू-4 | 360 | जुलाई-13   | मार्च-15   |
| छत्तीसगढ़  | चकाबुरा टीपीपी                 | यू-1 | 30  | सितंबर-13  | जनवरी-14   |
| छत्तीसगढ़  | सलोरा टीपीपी                   | यू-1 | 135 | जून-11     | सितंबर-13  |
|            |                                | यू-2 | 135 | सितंबर-11  | दिसंबर-13  |
| छत्तीसगढ़  | वीसा टीपीपी                    | यू-1 | 600 | अगस्त-13   | जुलाई-15   |
| झारखंड     | मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज-I      | यू-1 | 270 | मई-12      | सितंबर-14  |
|            |                                | यू-2 | 270 | जून-12     | दिसंबर-14  |
| झारखंड     | मैत्रीशी उषा टीपीपी फेज -II    | यू-3 | 270 | फरवरी-13   | जनवरी-15   |
|            |                                | यू-4 | 270 | मार्च-13   | मार्च-15   |
| झारखंड     | तोरी टीपीपी                    | यू-1 | 600 | जून-13     | अप्रैल-15  |
| महाराष्ट्र | अमरावती टीपीपी फेज-I           | यू-2 | 270 | दिसंबर-11  | नवंबर-13   |
|            |                                | यू-3 | 270 | जनवरी-12   | फरवरी-14   |
|            |                                | यू-4 | 270 | फरवरी-12   | मई-14      |
|            |                                | यू-5 | 270 | मार्च-12   | अगस्त-14   |
| महाराष्ट्र | अमरावती टीपीपी फेज-II          | यू-1 | 270 | जुलाई-14   | *          |
|            |                                | यू-2 | 270 | सितंबर-14  | *          |
|            |                                | यू-3 | 270 | नवंबर-14   | *          |
|            |                                | यू-4 | 270 | जनवरी-15   | *          |
|            |                                | यू-5 | 270 | मार्च-15   | *          |
| महाराष्ट्र | धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी | यू-1 | 300 | फरवरी-12   | सितंबर-13  |
|            |                                | यू-2 | 300 | मई-12      | जनवरी-14   |
| महाराष्ट्र | एमको वरोरा टीपीपी              | यू-2 | 300 | फरवरी-12   | अगस्त-13   |
| महाराष्ट्र | लैंको विदर्भ टीपीपी            | यू-1 | 660 | जनवरी-14   | दिसंबर-15  |
|            |                                | यू-2 | 660 | मई-14      | अगस्त-16   |
| महाराष्ट्र | नासिक टीपीपी फेज-I             | यू-1 | 270 | फरवरी-12   | अक्टूबर-13 |
|            |                                | यू-2 | 270 | अप्रैल-12  | दिसंबर-13  |
|            |                                | यू-3 | 270 | जून-12     | नवंबर-14   |
|            |                                | यू-4 | 270 | अगस्त-12   | जनवरी-15   |
|            |                                | यू-5 | 270 | अक्टूबर-12 | मार्च-15   |
| महाराष्ट्र | नासिक टीपीपी फेज-II            | यू-1 | 270 | अप्रैल-13  | *          |
|            |                                | यू-2 | 270 | जून-13     | *          |
|            |                                | यू-3 | 270 | अगस्त-13   | *          |
|            |                                | यू-4 | 270 | अक्टूबर-13 | *          |
|            |                                | यू-5 | 270 | दिसंबर-13  | *          |
| महाराष्ट्र | तिरौरा टीपीपी फेज-II           | यू-2 | 660 | जुलाई-12   | नवंबर-13   |
|            |                                | यू-3 | 660 | अक्टूबर-12 | फरवरी-14   |
| म. प्र.    | अनुपुर टीपीपी फेज-I            | यू-1 | 600 | अप्रैल-13  | नवंबर-14   |

|          |                               |      |     |            |            |
|----------|-------------------------------|------|-----|------------|------------|
|          |                               | यू-2 | 600 | अगस्त-13   | मार्च-15   |
| म. प्र.  | महान टीपीपी                   | यू-2 | 600 | सितंबर-11  | दिसंबर-13  |
| म. प्र.  | नीगरी टीपीपी                  | यू-1 | 660 | जून-13     | मार्च-14   |
|          |                               | यू-2 | 660 | दिसंबर-13  | सितंबर-14  |
| म. प्र.  | ससन यूएमपीपी                  | यू-1 | 660 | मई-13      | *          |
|          |                               | यू-2 | 660 | दिसंबर-13  | अक्टूबर-13 |
|          |                               | यू-4 | 660 | फरवरी-15   | दिसंबर-13  |
|          |                               | यू-5 | 660 | सितंबर-15  | *          |
|          |                               | यू-6 | 660 | अप्रैल-16  | *          |
| म. प्र.  | गोर्गी टीपीपी (डीबी पावर)     | यू-1 | 660 | जून-13     | जनवरी-17   |
| म. प्र.  | सिओनी टीपीपी फेज-I            | यू-1 | 600 | मार्च-13   | मार्च-14   |
| ओडिशा    | देरांग टीपीपी                 | यू-1 | 600 | मार्च-12   | जनवरी-14   |
|          |                               | यू-2 | 600 | जून-12     | जून-14     |
| ओडिशा    | इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)       | यू-1 | 350 | सितंबर-11  | नवंबर-13   |
|          |                               | यू-2 | 350 | दिसंबर-11  | मार्च-14   |
| ओडिशा    | कमलंगा टीपीपी                 | यू-2 | 350 | दिसंबर-11  | सितंबर-13  |
| ओडिशा    |                               | यू-3 | 350 | फरवरी-12   | दिसंबर-13  |
| ओडिशा    | केवीके निलांचल टीपीपी         | यू-1 | 350 | दिसंबर-11  | दिसंबर-14  |
|          |                               | यू-2 | 350 | जनवरी-12   | अगस्त-15   |
|          |                               | यू-3 | 350 | मार्च-12   | दिसंबर-15  |
| ओडिशा    | लैंको बबंध टीपीपी             | यू-1 | 660 | अप्रैल-13  | दिसंबर-15  |
|          |                               | यू-2 | 660 | अगस्त-13   | जून-16     |
| ओडिशा    | मलीब्रह्मानी टीपीपी           | यू-1 | 525 | दिसंबर-12  | सितंबर-14  |
| ओडिशा    | मलीब्रह्मानी टीपीपी           | यू-2 | 525 | फरवरी-13   | दिसंबर-14  |
| पंजाब    | गोईदवाल साहिब                 | यू-1 | 270 | अप्रैल-13  | सितंबर -13 |
|          |                               | यू-2 | 270 | अक्टूबर-13 | फरवरी-14   |
| पंजाब    | राजपुरा टीपीपी (नाभा)         | यू-1 | 700 | जनवरी-14   | जनवरी-14   |
|          |                               | यू-2 | 700 | मार्च-14   | अप्रैल-14  |
| पंजाब    | तलवंडी साबो टीपीपी            | यू-1 | 660 | अक्टूबर-12 | दिसंबर-13  |
|          |                               | यू-2 | 660 | जनवरी-13   | अप्रैल-14  |
|          |                               | यू-3 | 660 | मई-13      | जुलाई-14   |
| राजस्थान | कवाई टीपीपी                   | यू-2 | 660 | मार्च-13   | अक्टूबर-13 |
| तमिलनाडु | मेलामाथुर टीपीपी              | यू-1 | 600 | फरवरी-12   | नवंबर-13   |
|          |                               | यू-2 | 600 | मार्च-12   | मार्च-14   |
| तमिलनाडु | तूतीकोरीन टीपीपी ( इंड- भारत) | यू-1 | 660 | मई-12      | मार्च -16  |
|          |                               | यू-2 | 150 |            | सितंबर-13  |
| उ. प्र.  | प्रयागराज (बार) टीपीपी        | यू-1 | 660 | फरवरी-14   | जुलाई-14   |
|          |                               | यू-2 | 660 | जुलाई-14   | दिसंबर-14  |
|          |                               | यू-3 | 660 | दिसंबर-14  | मार्च-15   |
| उ. प्र.  | ललितपुर टीपीपी                | यू-1 | 660 | अक्टूबर-14 | अक्टूबर-14 |
|          |                               | यू-2 | 660 | फरवरी-15   | फरवरी-15   |
|          |                               | यू-3 | 660 | जून-15     | जून-15     |
| प. बं.   | हल्दिया टीपीपी-I              | यू-1 | 300 | अगस्त-14   | अगस्त-14   |
|          |                               | यू-2 | 300 | अक्टूबर-14 | नवंबर-14   |

\* कार्य नहीं/चालू होने की तिथि अभी निर्धारित करना बाकी है

\*\*\*\*\*



लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

देश में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों की स्थिति

| क्रम सं. | परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)            | राज्य          | चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम | चालू होने का अनुमानित कार्यक्रम |
|----------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          | <b>केंद्रीय क्षेत्र</b>                     |                |                                 |                                 |
| 1.       | उरी-II<br>4x60 = 240 मे.वा.                 | जम्मू व कश्मीर | 2009-10                         | 2013-14                         |
| 2.       | नीमू बाजगो<br>3x15 = 45 मे.वा.              | जम्मू व कश्मीर | 2010-11                         | 2013-14                         |
| 3.       | किशनगंगा<br>3x110 = 330 मे.वा.              | जम्मू व कश्मीर | 2015-16                         | 2016-17                         |
| 4.       | पार्वती-II<br>4x200 = 800 मे.वा.            | हिमाचल प्रदेश  | 2009-10                         | 2016-17                         |
| 5.       | पार्वती-III<br>4x130 = 520 मे.वा.           | हिमाचल प्रदेश  | 2010-11                         | 2013-15                         |
| 6.       | कोल डैम<br>4x200 = 800 मे.वा.               | हिमाचल प्रदेश  | 2008-10                         | 2014-15                         |
| 7.       | रामपुर<br>6x68.67 = 412 मे.वा.              | हिमाचल प्रदेश  | 2011-12                         | 2013-15                         |
| 8.       | तपोवन विष्णुगड<br>4x130 = 520 मे.वा.        | उत्तराखंड      | 2011-12                         | 2015-16                         |
| 9.       | टेहरी पीएसएस,<br>4x250=1000 मे.वा.          | उत्तराखंड      | 2011-12                         | 2017-18                         |
| 10.      | लता तपोवन,<br>3x57= 171 मे.वा.              | उत्तराखंड      | 2017-18                         | 2017-18                         |
| 11.      | तीस्ता लो डैम-IV<br>4x40 = 160 मे.वा.       | पश्चिम बंगाल   | 2009-10                         | 2014-15                         |
| 12.      | सुवानसिरी लोअर<br>8x250= 2000 मे.वा.        | अरुणाचल प्रदेश | 2010-11                         | 2016-18                         |
| 13.      | कामेंग<br>4x150 = 600 मे.वा.                | अरुणाचल प्रदेश | 2009-10                         | 2016-17                         |
| 14.      | पारे<br>2x55 = 110 मे.वा.                   | अरुणाचल प्रदेश | 2013-14                         | 2014-15                         |
| 15.      | तुरियल<br>2x30= 60 मे.वा.                   | मिजोरम         | 2006-07                         | 2016-17                         |
|          | <b>राज्य क्षेत्र</b>                        |                |                                 |                                 |
| 16.      | बगलीहार- II<br>3x150= 450 मे.वा.            | जम्मू व कश्मीर | 2014-15                         | 2016-17                         |
| 17.      | उहल-III<br>3x33.3 =100 मे.वा.               | हिमाचल प्रदेश  | 2006-07                         | 2014-15                         |
| 18.      | कशांग-I 65 मे.वा.                           | हिमाचल प्रदेश  | 2012-13                         | 2014-15                         |
| 19.      | कशांग-II व III<br>1x65 + 1x65= 130 मे.वा.   | हिमाचल प्रदेश  | 2013-14                         | 2015-16                         |
| 20.      | सैंज 100 मे.वा.                             | हिमाचल प्रदेश  | 2014-15                         | 2014-15                         |
| 21.      | स्वारा कुड्डु<br>3x37= 111 मे.वा.           | हिमाचल प्रदेश  | 2010-11                         | 2014-15                         |
| 22.      | शोंगटोंग करचम<br>3x150= 450 मे.वा.          | हिमाचल प्रदेश  | 2017-18                         | 2017-18                         |
| 23.      | कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस<br>2x40 = 80 मे.वा. | महाराष्ट्र     | 2017-18                         | 2017-18                         |

| क्रम सं. | परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)           | राज्य         | चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम | चालू होने का अनुमानित कार्यक्रम |
|----------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 24.      | नागार्जुन सागर टीआर<br>2x25=50 मे.वा.      | आंध्र प्रदेश  | 2008-09                         | 2014-15                         |
| 25.      | लोअर जुसाला<br>6x40=240 मे.वा.             | आंध्र प्रदेश  | 2011-13                         | 2013-16                         |
| 26.      | पुलीचिताला<br>120 मे.वा. (4x30 मे.वा.)     | आंध्र प्रदेश  | 2009-11                         | 2015-17                         |
| 27.      | पल्लीवसल<br>2x30= 60 मे.वा.                | केरल          | 2010-11                         | 2014-15                         |
| 28.      | थॉटियार<br>1x30 + 1x10= 40 मे.वा.          | केरल          | 2013-14                         | 2015-16                         |
| 29.      | भवानी कट्टालई बैराज-II<br>2x15 = 30 मे.वा. | तमिलनाडु      | 2006-07                         | 2013-14                         |
| 30.      | भवानी कट्टालई बैराज-III<br>2x15 = 30       | तमिलनाडु      | 2006-07                         | 2013-14                         |
| 31.      | न्यू उमतलू 2x20=40                         | मेघालय        | 2011-12                         | 2014-15                         |
|          | निजी क्षेत्र                               |               |                                 |                                 |
| 32.      | सोरंग<br>2x50= 100 मे.वा.                  | हिमाचल प्रदेश | 2012-13                         | 2013-14                         |
| 33.      | टीडोंग-I<br>2x50 = 100 मे.वा.              | हिमाचल प्रदेश | 2013-14                         | 2015-16                         |
| 34.      | टांगू रोमई-I<br>2x22= 44 मे.वा.            | हिमाचल प्रदेश | 2014-15                         | 2015-16                         |
| 35.      | बजोली होली<br>3x60=180 मे.वा.              | हिमाचल प्रदेश | 2017-18                         | 2017-18                         |
| 36.      | श्रीनगर<br>4x82.5=330                      | उत्तराखंड     | 2005-06                         | 2014-15                         |
| 37.      | फाटा ब्योग<br>2x38 MW = 76 मे.वा.          | उत्तराखंड     | 2013-14                         | 2014-15                         |
| 38.      | सिगोली भटवारी<br>3x33 MW = 99 मे.वा.       | उत्तराखंड     | 2015-16                         | 2015-16                         |
| 39.      | महेश्वर<br>10x40= 400 मे.वा.               | मध्य प्रदेश   | 2001-02                         | 2014-15                         |
| 40.      | तीस्ता-III<br>6x200=1200 मे.वा.            | सिक्किम       | 2011-13                         | 2014-15                         |
| 41.      | तीस्ता-VI<br>4x125= 500 मे.वा.             | सिक्किम       | 2012-13                         | 2015-16                         |
| 42.      | संगित-IV<br>3x40= 120 मे.वा.               | सिक्किम       | 2012-13                         | 2014-15                         |
| 43.      | जोरथांग लूप<br>2x48 = 96 मे.वा.            | सिक्किम       | 2013-14                         | 2014-15                         |
| 44.      | भस्से<br>3x17= 51 मे.वा.                   | सिक्किम       | 2014-15                         | 2015-16                         |
| 45.      | तसीडिंग<br>2x48.5 = 97 मे.वा.              | सिक्किम       | 2013-14                         | 2017-18                         |
| 46.      | डिक्नु<br>3x32= 96 मे.वा.                  | सिक्किम       | 2015-16                         | 2017-18                         |
| 47.      | संगित-II<br>2x33= 66 मे.वा.                | सिक्किम       | 2016-17                         | 2017-18                         |
| 48.      | सोंगनीचु<br>2x48= 96 मे.वा.                | सिक्किम       | 2015-16                         | 2017-18                         |





लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3152 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

निर्धारित समय से पांच वर्ष से अधिक समय से पीछे चल रही जल विद्युत परियोजनाएं

| क्रम सं.                | परियोजना का नाम<br>क्षमता                      | चालू होने का निर्धारित कार्यक्रम  |                    | विलंब का समय |
|-------------------------|--|---|--------------------|--------------|
|                         |  | वास्तविक<br>माह/वर्ष  | नवीनतम<br>माह/वर्ष |              |
| 1                       | 2  | 3   | 4                  | 5            |
| <b>केंद्रीय क्षेत्र</b> |  |   |                    |              |
| 1                       | कोल डैम<br>(4x200 मे.वा.)                      | अप्रैल-09<br>2008-10  | 2014-15            | 71 माह       |
| 2                       | तुरियल<br>(2x30 मे.वा.)                        | जुलाई-06<br>2006-07   | 2016-17            | 128 माह      |
| 3                       | कामेंग<br>(4x150 मे.वा.)                       | दिसंबर 09<br>2009-10  | 2016-17            | 87 माह       |
| 4                       | टेहरी पीएसएस<br>(4x250 मे.वा.)                 | जुलाई- 10<br>2010-11<br>(तिथि के अनुसार अनुमोदित)<br><br>फरवरी-16<br>(2015-16)<br>(आरसीई के अनुसार) | 2017-18            | 92 माह       |
| 5                       | तीस्ता लो डैम-IV<br>(4x40 मे.वा.)              | सितंबर-09<br>2009-10  | 2014-15            | 66 माह       |
| 6                       | पारबती - II<br>(4x200 मे.वा.)                  | सितंबर-09<br>2009-10  | 2016-17            | 90 माह       |
| 7                       | सुबानसिरी लोअर<br>(8x250 मे.वा.)               | सितंबर-10<br>2010-11  | 2016-18            | 90 माह       |
| <b>राज्य क्षेत्र</b>    |  |   |                    |              |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>    |  |   |                    |              |
| 8                       | उहल-III<br>(3x33.33 मे.वा.)                    | मार्च-07<br>2006-07   | 2014-15            | 96 माह       |
| <b>आंध्र प्रदेश</b>     |  |   |                    |              |
| 9                       | पुलीचिताला<br>(4x30 मे.वा.)                    | 2009-11   | 2015-17            | 60 माह       |
| 10                      | नागार्जुन सागर टेल पूल डैम<br>(2x25 मे.वा.)    | नवंबर-08<br>2008-09   | 2014-15            | 72 माह       |
| <b>तमिलनाडु</b>         |  |   |                    |              |
| 11                      | भवानी कड्डालई एच.ई. बैराज II<br>(2x15 मे.वा.)  | मार्च-06<br>2005-06   | 2013-14            | 98 माह       |
| 12                      | भवानी कड्डालई एच.ई. बैराज III<br>(2x15 मे.वा.) | मार्च-06<br>2005-06   | 2012-14            | 96 माह       |
| <b>निजी क्षेत्र</b>     |  |   |                    |              |
| <b>उत्तराखण्ड</b>       |  |   |                    |              |
| 13                      | श्रीनगर<br>(4x82.5 मे.वा.)                     | 2005-06   | 2014-15            | 108 माह      |
| <b>मध्य प्रदेश</b>      |  |   |                    |              |
| 14                      | महेश्वर<br>(10x40 मे.वा.)                      | 2001-02   | 2014-15            | 156 माह      |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3157

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

कोयले की आपूर्ति

3157. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के अधिकांश विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा एक सप्ताह से कम समय के लिए बची है और कोयले की आपूर्ति में बाधा होने के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित कोयले की न्यूनतम मात्रा प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादक कंपनियों और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बीच कोई समझौता हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक उक्त समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : 21 अगस्त, 2013 के अनुसार, थर्मल पावर स्टेशनों का अखिल भारतीय कोयला स्टॉक 23.29 मिलियन टन (एमटी) था जोकि पिछले वर्ष इसी दिवस में 9 दिनों के लिए लगभग 9.12 एमटी की तुलना में 19 दिनों के लिए था। उन थर्मल पावर स्टेशनों की संख्या जिनका कोयला भण्डार सात दिनों से कम था, घटकर 32 से 8 दिन हो गया है।

(ग) से (ङ) : वर्तमान में, लगभग 40,000 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर परियोजनाओं की 97 यूनिटों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3162

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

†3162. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में विद्युत उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा संबंधी कोई आंकड़े हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऊर्जा उत्पादकों द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता का कम उपयोग एक चिंता का विषय है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): 31.07.2013 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्रों की निगरानी की गई क्षमता 68,496.93 मेगावाट थी। वर्ष 2013-14(31 जुलाई, 2013 तक) के दौरान इन संयंत्रों का वास्तविक सकल विद्युत उत्पादन लगभग 1,19,776 मिलियन यूनिट था।

(ग)और(घ): विद्युत उत्पादकों की उत्पादन यूनिटों की संस्थापित क्षमता का उपयोग विद्युत केन्द्र के प्रकार से जुड़ा होता है। जबकि तापीय यूनिटें निरंतर बेस लोड यूनिटों के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जल विद्युत यूनिटें जल की उपलब्धता जलाशय स्तर पर निर्भर करते हुए बेस अथवा व्यस्ततम लोड दोनों पर प्रयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार, संस्थापित क्षमता का उपयोग प्रभावी रूप से तापीय (नाभिकीय सहित) उत्पादन यूनिटों पर लागू होता है और संयंत्र भार गुणांक (पीएलएफ) के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तापीय और नाभिकीय यूनिटों का पीएलएफ मुख्यतः यूनिटों की जीवनकाल, मरम्मत हेतु बंदी(जबरन) और नियोजित रखरखाव, ईंधन की मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता और लाभार्थियों से कार्यक्रम की प्राप्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए जल उपलब्धता से जल विद्युत केंद्रों का निष्पादन प्रभावित होता है। इसलिए, तापीय केंद्रों के लिए पीएलएफ जैसे जल विद्युत केन्द्रों की उपलब्धता को उस केन्द्र के निष्पादन के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। उनकी उत्पादन क्षमता उनके निष्पादन से कम होने के

कारणों में कोयला और गैस की अपर्याप्त उपलब्धता, डिजाइन किए गए कोयले के साथ भिन्न-भिन्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति, जबरनबंदी की लम्बी अवधि, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने, जीवन विस्तार और आपरेटिंग कार्यों, गाद की समस्या इत्यादि के कारण संयंत्र का बंद होना शामिल है।

सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक उपाय निम्न हैं:

- (i) कोयले की गुणवत्ता के लिए तीसरे पक्ष की सैम्पलिंग सहित कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कार्रवाई करना।
- (ii) विद्युत के निर्धारित प्रापण के लिए राज्यों के साथ प्रयास करना।
- (iii) जबरन बंदी को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों के साथ प्रयास करना।
- (iv) पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार को तीव्र करना।
- (v) ताप विद्युत स्टेशनों को घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्तियों की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।
- (vi) बाधित क्षेत्रों की पहचान करने और अन्तर्मंत्रालयी और दूसरे बकाया मामलों के तीव्र समाधान को सुकर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं। राज्य क्षेत्र उत्पादन यूनिटों के लिए संबंधित राज्य यूटिलिटियों के विभिन्न स्तरों पर भी समीक्षा की जाती है।
- (vii) भारी वर्षा के कारण विद्युत केद्रों की गाद हटाना।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3165

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

3165. श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हुईं तथा उनमें से जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है; और
- (ख) इन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है और ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : वर्तमान में बिहार राज्य में कोई भी जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् नए थर्मल प्रोजेक्टों की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बिहार में वर्तमान में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्टों की उनकी क्षमता सहित, चालू किए जाने की संभावित तिथि और कोयला आपूर्ति के प्रावधान सहित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3165 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

| परियोजना का नाम                         | यूनिट संख्या | क्षमता (मेगावाट में) | चालू होने की संभावित तिथि | कोयला आपूर्ति के प्रावधान   |
|---|--------------|----------------------|---------------------------|---|
| <b>केंद्रीय क्षेत्र</b>                 |              |                      |                           |   |
| बाढ़ एसटीपीपी-I                         | यू-1         | 660                  | 06/15                     | कोल लिंकेज  |
|   | यू-2         | 660                  | 04/16                     |   |
|   | यू-3         | 660                  | 02/17                     |   |
| बाढ़ एसटीपीपी -II                       | यू-4         | 660                  | 10/13                     | कोल ब्लॉक   |
|   | यू-5         | 660                  | 09/14                     |   |
| कान्ती टीपीएस स्टे-II.                  | यू-1         | 195                  | 03/14                     | कोल लिंकेज  |
|   | यू-2         | 195                  | 09/14                     |   |
| नबी नगर टीपीपी                          | यू-1         | 250                  | 07/14                     | कोल लिंकेज  |
|   | यू-2         | 250                  | 01/15                     |   |
|   | यू-3         | 250                  | 07/15                     |   |
|   | यू-4         | 250                  | 01/16                     |   |
| न्यू नबी नगर एसटीपीपी                   | यू-1         | 660                  | 02/17                     | कोल लिंकेज  |
|   | यू-2         | 660                  | 08/17                     |   |
|   | यू-3         | 660                  | 02/18                     |   |
| <b>राज्य क्षेत्र</b>                    |              |                      |                           |   |
| बरौनी टीपीएस एक्सटें.                   | यू-1         | 250                  | 03/15                     | कोल ब्लॉक. कोयला मंत्रालय ने टेपरिंग लिंकेज को 'सैद्धान्तिक रूप में' अनुमोदित कर दिया है। |
|   | यू-2         | 250                  | 06/15                     |   |
| <b>निजी क्षेत्र</b>                     |              |                      |                           |   |
| जस टीपीपी,<br>गांव-सिरिया<br>जिला-बांका | यू-1         | 660                  | 16-17                     | कोल ब्लॉक   |
|   | यू-2         | 660                  | 16-17                     |   |
|   | यू-3         | 660                  | 17-18                     |   |
|   | यू-4         | 660                  | 17-18                     |   |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3166

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन

3166. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत बिहार में कितने परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने और कितने ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव था;
- (ख) राज्य में क्षेत्र-वार अभी तक कितने परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराये जाने हैं;
- (ग) राज्य में सभी परिवारों को बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने की स्कीम का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में "ऊर्जा ग्रामों" का भी चयन किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, बिहार में आरजीजीवीवाई चरण-II के अंतर्गत 43 परियोजनाएं (10वीं योजना में 26 परियोजनाएं और 11वीं योजना में 17 परियोजनाएं) और 11 पूरक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के 55,52,867 घरों को निःशुल्क कनेक्शन जारी किया जाना शामिल है। बिहार में 92,876 ट्रांसफार्मरों को संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव था।

(ख) : संचयी रूप से, 31.07.2013 के अनुसार, बिहार में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 24,20,077 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए हैं। बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों के परियोजना-वार ब्यौरे अनुबंध पर हैं।

(ग) : 12वीं योजना आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार विचारार्थ 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष गांवों/वासस्थलों को विद्युतीकरण के लिए लिया जाना है।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.08.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध



\*\*\*\*\*

बिहार राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल घरों की परियोजना-वार कवरेज और उपलब्धि

| क्रम सं.   | जिला                      | कवरेज          | उपलब्धि  | शेष           |
|--|---------------------------|----------------|--|---------------|
| <b>Xवीं योजना</b>  |                           |                |  |               |
| 1  | दरभंगा                    | 44942          | 44942  | 0             |
| 2  | पूर्वी चम्पारण            | 68685          | 68685  | 0             |
| 3  | मधुबनी                    | 39070          | 39070  | 0             |
| 4  | शिवहर                     | 11400          | 11400  | 0             |
| 5  | सीतामढ़ी                  | 41694          | 41694  | 0             |
| 6  | अररिया                    | 35433          | 28944  | 6489          |
| 7  | औरंगाबाद                  | 43050          | 42630  | 420           |
| 8  | बांका                     | 43014          | 43014  | 0             |
| 9  | भागलपुर                   | 30459          | 30459  | 0             |
| 10   | भोजपुर                    | 25791          | 25791  | 0             |
| 11   | बक्सर                     | 18293          | 18293  | 0             |
| 12   | गया (दक्षिण)              | 47441          | 47441  | 0             |
| 13   | गया (उत्तर)               | 31763          | 27312  | 4451          |
| 14   | गोपालगंज                  | 28409          | 28409  | 0             |
| 15   | जमुई                      | 30203          | 30203  | 0             |
| 16   | कैमूर                     | 14194          | 14194  | 0             |
| 17   | किशनगंज                   | 20800          | 20800  | 0             |
| 18   | लखीसराय                   | 7021           | 7021   | 0             |
| 19   | मुंगेर                    | 7802           | 7802   | 0             |
| 20   | नालंदा                    | 25597          | 25597  | 0             |
| 21   | नवादा                     | 27004          | 27004  | 0             |
| 22   | पटना                      | 25134          | 25134  | 0             |
| 23   | पुर्णिया                  | 25009          | 25009  | 0             |
| 24   | रोहतास                    | 36442          | 36442  | 0             |
| 25   | सारन                      | 38872          | 38872  | 0             |
| 26   | सिवान                     | 33390          | 33390  | 0             |
| कुटीर ज्योति/बीपीएल स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को उपलब्ध कराए गए कनेक्शन |                           | 13273          | 13273  | 0             |
| <b>कुल (Xवीं योजना)</b>  |                           | <b>814185</b>  | <b>802825</b>  | <b>11360</b>  |
| <b>XIवीं योजना</b>   |                           |                |  |               |
| 1  | बेगुसराय                  | 90912          | 65880  | 25032         |
| 2  | कटिहार                    | 142350         | 45461  | 96889         |
| 3  | खगड़िया                   | 36671          | 25374  | 11297         |
| 4  | मधेपुरा                   | 75084          | 71804  | 3280          |
| 5  | सहरसा                     | 72996          | 69442  | 3554          |
| 6  | समस्तीपुर                 | 73332          | 63879  | 9453          |
| 7  | शेखपुरा                   | 30538          | 23557  | 6981          |
| 8  | सुपौल                     | 80681          | 79146  | 1535          |
| 9  | दरभंगा                    | 135621         | 132653   | 2968          |
| 10   | पूर्वी चम्पारण            | 191639         | 141238   | 50401         |
| 11   | मधुबनी                    | 141985         | 141985   | 0             |
| 12   | शिवहर                     | 27116          | 25230  | 1886          |
| 13   | सीतामढ़ी                  | 152735         | 151522   | 1213          |
| 14   | पश्चिम चम्पारण            | 177751         | 177751   | 0             |
| 15   | जहानाबाद और अरवल (2 जिले) | 23953          | 23953  | 0             |
| 16   | मुजफ्फरपुर                | 257553         | 257553   | 0             |
| 17   | वैशाली                    | 117608         | 108995   | 8613          |
| कुटीर ज्योति/बीपीएल स्कीम के अंतर्गत बीपीएल घरों को उपलब्ध कराए गए कनेक्शन |                           | 11829          | 11829  | 0             |
| <b>कुल (XIवीं योजना)</b>   |                           | <b>1840354</b> | <b>1617252</b>   | <b>223102</b> |
| <b>XIवीं योजना (फेज-II)</b>  |                           |                |  |               |
| 1  | अररिया                    | 267352         | फरवरी/मई, 2012 के दौरान फेज-II की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। सभी परियोजनाएं अवाई के विभिन्न चरणों में हैं, इसलिए इन परियोजनाओं से कोई प्रगति सूचित नहीं की गई है। | 267352        |
| 2  | बांका                     | 160300         |  | 160300        |
| 3  | भोजपुर                    | 236433         |  | 236433        |
| 4  | गया                       | 275296         |  | 275296        |
| 5  | नवादा                     | 161658         |  | 161658        |

|    |                           |         |         |         |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| 6  | पूरुगिया                  | 365941  |         | 365941  |
| 7  | रोहतास                    | 247396  |         | 247396  |
| 8  | सिवान                     | 279374  |         | 279374  |
| 9  | कलशनगंज                   | 221900  |         | 221900  |
| 10 | नालंदा                    | 304109  |         | 304109  |
| 11 | पटना                      | 378569  |         | 378569  |
|    | कुल (Xlवी योजना (कैज-ll)) | 2898328 | 0       | 2898328 |
|    | कुल जोड़                  | 5552867 | 2420077 | 3132790 |

\*\*\*\*\*

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3177

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3177. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की क्षमता और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं को शुरू करने की संभावित तारीख सहित इनकी अनुमानित लागत तथा इन्हें आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस वर्ष के अंत तक देश में विद्युत की अनुमानित मांग क्या होगी; और
- (घ) इन नई विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत से यह मांग किस सीमा तक पूरी होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख): 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने के लिए उनकी क्षमता, स्थान, उनकी अनुमानित लागत, व्यय, चालू किए जाने का कार्यक्रम सहित लक्षित जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा परियोजना-वार अनुबंध-I पर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की गई और निर्माणाधीन लक्षित ताप-विद्युत परियोजनाओं की उनकी क्षमता, स्थान इनकी अनुमानित लागत व्यय, शुरू होने का समय सहित ब्यौरे परियोजना-वार क्रमशः अनुबंध-II क और अनुबंध-II ख पर दिए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संभावित लाभों के लिए निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं की उनकी क्षमता, स्थान, शुरू होने का समय सहित ब्यौरे परियोजना-वार अनुबंध-III पर दिए गए हैं।

(ग)और(घ): वर्ष 2013-14 के लिए लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट(एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान देश में व्यस्ततम मांग 1,44,225 मेगावाट होने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ प्रदान करने वाली विद्युत परियोजनाओं से व्यस्ततम उपलब्धता 1,40,964 मेगावाट होने की संभावना है। वर्ष 2013-14 के दौरान व्यस्ततम विद्युत की कमी 2.3% (3,261 मेगावाट ) होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

**लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध**

\*\*\*\*\*

12वीं योजना के दौरान लाभ पहुँचाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं-राज्यवार  
(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

| क्र सं                | योजना का नाम    | क्षेत्र  | क्षमता           | चालू       | कार्यान्वयनाधीन | चालू होने का   | अनुमानित लागत   | खर्च            | वर्ष तक |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
|                       |                 |          | ( सं. x मेगावाट) | ( मेगावाट) | ( मेगावाट)      | वर्ष           | करोड़ रुपये में | करोड़ रुपये में | संभावित |
| <b>जम्मू व कश्मीर</b> |                 |          |                  |            |                 |                |                 |                 |         |
| 1                     | चुटक            | केंद्रीय | 4x11             | 44.00      | 0.00            | <b>2012-13</b> | 913.25          | 775.32          | (01/13) |
| 2                     | उरी-II          | केंद्रीय | 4x60             |            | 240.00          | 2013-14        | 1794.00         | 1928.07         | (03/13) |
| 3                     | नीमू बाजगो      | केंद्रीय | 3x15             |            | 45.00           | 2013-14        | 936.10          | 840.91          | (03/13) |
| 4                     | किशनगंगा        | केंद्रीय | 3x110            |            | 330.00          | 2016-17        | 3642.04         | 2184.17         | (03/13) |
| 5                     | बगलीहार II      | राज्य    | 3x150            |            | 450.00          | 2016-17        | 2113.09         | 191.72          | (03/12) |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>  |                 |          |                  |            |                 |                |                 |                 |         |
| 6                     | चमेरा-III       | केंद्रीय | 3x77             | 231.00     | 0.00            | <b>2012-13</b> | 2084.01         | 1842.24         | (06/12) |
| 7                     | पार्वती चरण II  | केंद्रीय | 4x200            |            | 800.00          | 2016-17        | 5524.00         | 3854.20         | (03/13) |
| 8                     | पार्वती -III    | केंद्रीय | 4x130            |            | 520.00          | 2013-15        | 2716.00         | 2077.96         | (03/13) |
| 9                     | कोल डैम         | केंद्रीय | 4x200            |            | 800.00          | 2014-15        | 6358.91         | 4842.00         | (02/13) |
| 10                    | रामपुर          | केंद्रीय | 6x68.67          |            | 412.00          | 2013-15        | 2047.03         | 2235.78         | (03/13) |
| 11                    | उहल-III         | राज्य    | 3x33.33          |            | 100.00          | 2014-15        | 940.84          | 888.08          | (03/13) |
| 12                    | स्वारा कुड्डु   | राज्य    | 3x37             |            | 111.00          | 2014-15        | 1181.90         | 813.55          | (03/13) |
| 13                    | कशांग-I         | राज्य    | 1x65             |            | 65.00           | 2014-15        | 478.02          | 608.74          | (03/13) |
| 14                    | कशांग-II , III  | राज्य    | 2x65             |            | 130.00          | 2015-16        | 601.78          |                 | (03/13) |
| 15                    | सैंज            | राज्य    | 2x50             |            | 100.00          | 2014-15        | 725.24          | 448.94          | (03/13) |
| 16                    | बुधील           | निजी     | 2x35             | 70.00      | 0.00            | <b>2012-13</b> | 418.80          | 364.00          | (03/13) |
| 17                    | सोरांग          | निजी     | 2x50             |            | 100.00          | 2013-14        | 586.00          | 213.05          | (03/10) |
| 18                    | टीडोंग-I        | निजी     | 2x50             |            | 100.00          | 2015-16        | 543.15          | 250.89          | (03/13) |
| 19                    | टांगू रोमई      | निजी     | 2x22             |            | 44.00           | 2015-16        | 255.00          | 179.00          | (03/13) |
| <b>उत्तराखंड</b>      |                 |          |                  |            |                 |                |                 |                 |         |
| 20                    | तपोवन विष्णुगाड | केंद्रीय | 4x130            |            | 520.00          | 2015-16        | 2978.48         | 1730.00         | (02/13) |
| 21                    | श्रीनगर         | निजी     | 4x82.5           |            | 330.00          | 2014-15        | 2069.00         | 3328.01         | (03/12) |
| 22                    | फाटा ब्योग      | निजी     | 2x38             |            | 76.00           | 2014-15        | 520.00          | 486.96          | (03/13) |
| 23                    | सिंगोली भटवारी  | निजी     | 3x33             |            | 99.00           | 2015-16        | 666.47          | 485.78          | (03/13) |
| <b>मध्य प्रदेश</b>    |                 |          |                  |            |                 |                |                 |                 |         |
| 24                    | महेश्वर         | निजी     | 10x40            |            | 400.00          | 2014-15        | 3938.66         | 2917.70         | (03/12) |

| आंध्र प्रदेश   |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
|----------------|------------------------|----------|-------------|--------|---------|----------------|------------------|--------------------------|
| 25             | नागार्जुन सागर<br>टीआर | राज्य    | 2x25        |        | 50.00   | 2014-15        | 794.47           | 534.62 (03/13)           |
| 26             | पुलीचिंताला            | राज्य    | 4x30        |        | 120.00  | 2015-17        | 396.00           | 217.91 (03/13)           |
| 27             | लोअर जुराला            | राज्य    | 6x40        |        | 240.00  | 2013-16        | 908.34           | 1112.03 (03/13)          |
| केरल           |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 28             | पल्लीवसल               | राज्य    | 2x30        |        | 60.00   | 2014-15        | 268.02           | 161.76 (03/13)           |
| 29             | थोट्टीयार              | राज्य    | 1x30+1x10   |        | 40.00   | 2015-16        | 145.77           | 16.24 (03/13)            |
| तमिलनाडु       |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 30             | भवानी<br>बैराज-II      | राज्य    | 2x15        |        | 30.00   | 2013-14        |                  | (03/12)                  |
| 31             | भवानी बैराज-III        | राज्य    | 2x15        | 15.00  | 15.00   | <b>2012-14</b> | 497.46<br>490.80 | 477.06<br>379.87 (03/12) |
| प. बंगाल       |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 32             | तीस्ता लो डैम-III      | केंद्रीय | 4x33        | 132.00 | 0.00    | <b>2012-14</b> | 1628.00          | 1686.98 (03/13)          |
| 33             | तीस्ता लो डैम-IV       | केंद्रीय | 4x40        |        | 160.00  | 2014-15        | 1502.00          | 1314.17 (03/13)          |
| सिक्किम        |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 34             | चुजाचेन                | निजी     | 2x49.5      | 99.00  | 0.00    | <b>2013-14</b> | 1044.50          | 966.20 (03/12)           |
| 35             | तीस्ता-III             | निजी     | 6x200       |        | 1200.00 | 2014-15        | 5705.55          | 5475.43 (03/13)          |
| 36             | तीस्ता VI              | निजी     | 4x125       |        | 500.00  | 2015-16        | 3283.08          | 2086.25 (03/13)          |
| 37             | रंगित IV               | निजी     | 3x40        |        | 120.00  | 2016-17        | 726.16           | 554.21 (03/13)           |
| 38             | जोरथांग लूप            | निजी     | 2x48        |        | 96.00   | 2014-15        | 403.00           |                          |
| 39             | भस्मे                  | निजी     | 2X25.5      |        | 51.00   | 2015-16        | 408.50           | 160.90 (03/12)           |
| मेघालय         |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 40             | मिटडू इकाई-3           | राज्य    | 2x42 + 1x42 | 42.00  | 0.00    | <b>2012-13</b> | 1173.13          | 968.00 (03/13)           |
| 41             | नई उमतारू              | राज्य    | 2x20        |        | 40.00   | 2014-15        | 226.40           | 112.87 (06/11)           |
| मिजोरम         |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 42             | तुरियल                 | केंद्रीय | 2x30        |        | 60.00   | 2016-17        | 913.63           | 394.96 (03/13)           |
| अरुणाचल प्रदेश |                        |          |             |        |         |                |                  |                          |
| 43             | सुबंसिरी लोअर          | केंद्रीय | 8x250       |        | 1000.00 | 2016-17        | 10667.00         | 6203.46 (03/13)          |
| 44             | कामेंग                 | केंद्रीय | 4x150       |        | 600.00  | 2016-17        | 3253.22          | 2208.60 (03/13)          |
| 45             | पारे                   | केंद्रीय | 2x55        |        | 110.00  | 2014-15        | 573.99           | 505.69 (03/13)           |

-----



लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

12वीं योजना के दौरान चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

| राज्य            | परियोजना का नाम     | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | वास्तविक लागत ( करोड़ रुपये में) | नवीनतम लागत ( करोड़ रुपये में) | चालू होने की वास्तविक तिथि | कुल खर्च ( करोड़ रुपये में) | तक अनुमानित               |
|------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| केंद्रीय क्षेत्र |                     |           |                  |                                  |                                |                            |                             |                           |
| छत्तीसगढ़        | सिपत-I              | यू-3      | 660              | 8323.39                          | 8323.39                        | 02.06.12                   | 8050.98                     | मार्च-12<br>( तीन इकाई)   |
| हरियाणा          | इंदिरा गांधी टीपीपी | यू-3      | 500              | 8293.00                          | 8587.97                        | 07.11.12                   | 6120.13                     | सितंबर-12<br>( तीन इकाई)  |
| झारखंड           | कोडरमा टीपीपी       | यू-2      | 500              | 4313.00                          | 5583.08                        | 15.02.13                   | 5634.09                     | दिसंबर-12<br>( दो इकाई)   |
| महाराष्ट्र       | मोदा टीपीपी         | यू-1      | 500              | 5459.28                          | 6010.89                        | 19.04.12                   | 4557.00                     | नवंबर-12                  |
|                  |                     | यू-2      | 500              |                                  |                                | 29.03.13                   |                             |                           |
| मध्य प्रदेश      | विंध्याचल टीपीपी-IV | यू-11     | 500              | 5915.00                          | 5915.00                        | 14.06.12                   | 4147.00                     | दिसंबर-12                 |
|                  |                     | यू-12     | 500              |                                  |                                | 22.03.13                   |                             |                           |
| तमिलनाडु         | वल्लूर टीपीपी फेज I | यू-2      | 500              | 5423.55                          | 5552.78                        | 28.02.13                   | 5995.86                     | दिसंबर-12<br>( दो इकाई)   |
| त्रिपुरा         | त्रिपुरा गैस        | मॉड्यूल-1 | 363.3            | 3429.00                          | 3429.00                        | 03.01.13                   | 2977.00                     | मार्च-13<br>( दो मॉड्यूल) |
| उत्तर प्रदेश     | रिहंद एसटीपीपी- III | यू-5      | 500              | 6230.81                          | 6230.81                        | 25.05.12                   | 4354.00                     | मई-13                     |



| राज्य क्षेत्र       |                                   |         |     |         |         |          |         | ( दो इकाई)      |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-----|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| छत्तीसगढ़           | कोरबा वेस्ट चरण-III.              | यू-5    | 500 | 2309.34 | 3156.00 | 22.03.13 | 2690.99 | जनवरी13         |
| दिल्ली              | प्रगति सीसीजीटी - III             | जीटी-3  | 250 | 5195.81 | 5195.81 | 27.06.12 | 2996.10 | जून 13          |
|                     |                                   | जीटी-4  | 250 |         |         | 07.05.13 |         | (4 जीटी+2 एसटी) |
| गुजरात              | पीपावाव सीसीपीपी                  | ब्लॉक-2 | 351 | 2354.29 | 3029.00 | 27.03.13 | 2383.32 | जुलाई-13        |
|                     |                                   |         |     |         |         |          |         | ( दो मॉड्यूल)   |
| गुजरात              | उकाई टीपीपी एक्सटें               | यू-6    | 500 | 1950.00 | 2135.00 | 05.03.13 | 2455.43 | जुलाई--12       |
| म. प्रदेश           | सतपुरा टीपीएस एक्सटें             | यू-10   | 250 | 2350.00 | 3032.34 | 22.03.13 | 2574.17 | जून -13         |
|                     |                                   |         |     |         |         |          |         | ( दो इकाई)      |
| राजस्थान            | रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-III       | जीटी    | 110 | 640.00  | 640.00  | 20.03.13 | 551.95  | जून -13         |
|                     |                                   |         |     |         |         |          |         | ( जीटी+एसटी)    |
| तमिलनाडु            | मेट्टूर टीपीपी एक्सटें            | यू-1    | 600 | 3550.04 | 3550.04 | 11.10.12 | 2441.00 | जुलाई--12       |
| तमिलनाडु            | नॉर्थ चेन्नई एक्सटें, यू-2        | यू-2    | 600 | 2718.75 | 2718.75 | 09.03.13 | 1820.24 | जनवरी-13        |
| उत्तर प्रदेश        | हरदुआगंज एक्सटें                  | यू-9    | 250 | 1900.00 | 2605.00 | 25.05.12 | 2524.81 | मार्च-12        |
|                     |                                   |         |     |         |         |          |         | ( दो इकाई)      |
| उत्तर प्रदेश        | परीछा एक्सटें                     | यू-5    | 250 | 1703.00 | 1703.00 | 24.05.12 | 1144.05 |                 |
|                     |                                   | यू-6    | 250 |         |         | 11.03.13 |         | ( दो इकाई)      |
| <b>निजी क्षेत्र</b> |                                   |         |     |         |         |          |         |                 |
| आंध्र प्रदेश        | सिम्हापुरी इनर्जी प्रा. लि. फेज-I | यू-2    | 150 | 1485.00 | 1485.00 | 02.07.12 | 1405.38 | मई-12           |
|                     |                                   |         |     |         |         |          |         | ( दो इकाई)      |

|                |                                    |      |     |          |          |          |          |              |
|----------------|------------------------------------|------|-----|----------|----------|----------|----------|--------------|
| आंध्र प्रदेश   | थम्मीनापटनम टीपीपी-I               | यू-1 | 150 | 1420.00  | 1428.00  | 09.09.12 | 1452.62  | जून-13       |
|                |                                    | यू-2 | 150 |          |          | 17.04.13 |          | ( दो इकाई)   |
| छत्तीसगढ़      | अलकातारा (नैयारा )टीपीपी           | यू-3 | 600 | 16190.00 | 16190.00 | 13.08.13 | 11036.14 | अप्रैल-13    |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( छः इकाई)   |
| छत्तीसगढ़      | कसाईपल्ली टीपीपी                   | यू-2 | 135 | 1267.00  | 1267.00  | 21.06.12 | 1245.00  | जून-12       |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( दो इकाई)   |
| छत्तीसगढ़      | रतीजा टीपीपी                       | यू-1 | 50  | 220.00   | 220.00   | 04.02.13 | 344.00   | फरवरी-13     |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          |              |
| गुजरात         | मुंद्रा यूएमटीपीपी                 | यू-2 | 800 | एन ए     | एन ए     | 25.07.12 | 13124.00 | मार्च-11     |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( पांच इकाई) |
| गुजरात         | सलाया टीपीपी                       | यू-2 | 600 | 4820.00  | 5000.00  | 13.06.12 | 5050.45  | जून12        |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( दो इकाई)   |
| <b>हरियाणा</b> | झज्जर टीपीपी(महात्मा गांधी टीपीपी) | यू-2 | 660 | 6000.00  | 6000.00  | 11.04.12 | 5215.87  | मार्च-12     |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( दो इकाई)   |
| झारखंड         | महादेव प्रासस एसटीपीपी फेज-I       | यू-1 | 270 | 3151.00  | 3151.00  | 19.11.12 | 2900.00  | दिसंबर-12    |
|                |                                    | यू-2 | 270 |          |          | 29.03.13 |          | ( दो इकाई)   |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          |              |
| महाराष्ट्र     | अमरावती टीपीपी फेज-I               | यू-1 | 270 | 6888.00  | 6888.00  | 25.03.13 | 5838.81  | जून-13       |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          | ( पांच इकाई) |
| महाराष्ट्र     | बेला टीपीपी-I                      | यू-1 | 270 | 1477.00  | 1477.00  | 20.03.13 | 1648.29  | जनवरी 13     |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          |              |
| महाराष्ट्र     | बुटीबोरी टीपीपी फेज-II             | यू-1 | 300 | 1600.00  | 1600.00  | 17.08.12 | 1127.00  | दिसंबर-12    |
|                |                                    |      |     |          |          |          |          |              |
| महाराष्ट्र     | एमको वरोरा टीपीपी                  | यू-1 | 300 | 3480.00  | 4000.00  | 07.02.13 | 3808.00  | जून-13       |

|            |                      |      |     |         |         |          |         |              |
|------------|----------------------|------|-----|---------|---------|----------|---------|--------------|
|            |                      |      |     |         |         |          |         | ( दो इकाई )  |
| महाराष्ट्र | जीईपीएल टीपीपी       | यू-1 | 60  | 656.49  | 656.49  | 08.09.12 | 587.16  | मई-11        |
|            |                      | यू-2 | 60  |         |         | 28.04.12 |         | ( दो इकाई )  |
|            |                      |      |     |         |         |          |         |              |
| महाराष्ट्र | तीरौरा टीपीपी फेज-I  | यू-1 | 660 | 6560.00 | 7309.00 | 11.09.12 | 6989.00 | दिसंबर-12    |
|            |                      | यू-2 | 660 |         |         | 25.03.13 |         | ( दो इकाई )  |
|            |                      |      |     |         |         |          |         |              |
| महाराष्ट्र | तीरौरा टीपीपी फेज-II | यू-1 | 660 | 8993.00 | 9635.00 | 10.06.13 | 7367.64 | जून-13       |
|            |                      |      |     |         |         |          |         | (तीन इकाई)   |
| म.प्र.     | बीना टीपीपी          | यू-1 | 250 | 2750.00 | 3240.00 | 12.08.12 | 2952.00 | जून-12       |
|            |                      | यू-2 | 250 |         |         | 31.03.13 |         | ( दो इकाई )  |
| म.प्र.     | सासन यूएमपीपी        | यू-3 | 660 | एन ए    | एन ए    | 30.05.13 | 3471.00 | मार्च-11     |
|            |                      |      |     |         |         |          |         | ( छः इकाई )  |
| ओडिशा      | कमलंगा टीपीपी        | यू-1 | 350 | 4540.00 | 6307.00 | 28.03.13 | 6189.79 | जून13        |
|            |                      |      |     |         |         |          |         | ( तीन इकाई ) |
| ओडिशा      | स्टर्लाइट टीपीपी     | यू-4 | 600 | 7669.00 | 7669.00 | 25.04.12 | 4997.79 | अगस्त-09     |
|            |                      |      |     |         |         |          |         | ( चार इकाई ) |
| राजस्थान   | जलीपा कपूर्डी टीपीपी | यू-5 | 135 | 5075.00 | 6865.21 | 05.02.13 | 6394.38 | मार्च12      |
|            |                      | यू-6 | 135 |         |         | 03.03.13 |         | (आठ इकाई)    |

-----

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

| 12वीं योजना में लाभ पहुँचाने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे |   |         |          |                 |                                |                              |                                 |                           |            |
|--|---|---------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| राज्य  | परियोजना का नाम                             | क्षेत्र | इकाई सं. | क्षमता (मेगवाट) | वास्तविक अनुमानित लागत (करोड़) | नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़) | चालू होने की अनुमानित कार्यक्रम | कुल किया गया खर्च (करोड़) | तक संभावित |
| <b>आंध्र प्र.</b>  |   |         |          |                 |                                |                              |                                 |                           |            |
|  | रायलसीमा स्टे-IV टीपीएस                     | एस      | यू-6     | 600             | 3028.86                        | 3525.00                      | दिसंबर-15                       | 1041.96                   | जून-13     |
|  | श्री दामोदरम संजीवैया (कृष्णापट्टनम) टीपीपी | एस      | यू-1     | 800             | 8432.00                        | 8654.00                      | फरवरी-14                        | 7966.65                   | जून-13     |
|  |   | एस      | यू-2     | 800             |                                |                              | अक्टूबर -14                     |                           |            |
|  | थामिनापट्टनम टीपीपी फेज-II                  | पी      | यू-3     | 350             | 3120.00                        | 3700.00                      | मार्च-15                        | 1246.14                   | जून-13     |
|  |   | पी      | यू-4     | 350             |                                |                              | जून-15                          |                           |            |
|  | भवनपाडु टीपीपी फेज-I                        | पी      | यू-1     | 660             | 6572.00                        | 6572.00                      | अक्टूबर -15                     | 1607.00                   | मार्च-13   |
|  |   | पी      | यू-2     | 660             |                                |                              | मार्च-16                        |                           |            |
|  | वैजाग टीपीपी                                | पी      | यू-1     | 525             | 5545.00                        | 5545.00                      | फरवरी-14                        | 4104.25                   | जून-13     |
|  |   | पी      | यू-2     | 525             |                                |                              | जून-14                          |                           |            |
|  | प्यानमपुरम टीपीपी                           | पी      | यू-1     | 660             | 6869.00                        | 6869.00                      | सितंबर -14                      | 5876.00                   | जून-13     |
|  |   | पी      | यू-2     | 660             |                                |                              | दिसंबर-14                       |                           |            |
|  | नागार्जुन टीपीपी                            | पी      | यू-1     | 660             |                                |                              | अप्रैल-16                       | 1959.98                   | जून-13     |
|  |   | पी      | यू-2     | 660             |                                |                              | अगस्त-16                        |                           |            |
| <b>असम</b>   |   |         |          |                 |                                |                              |                                 |                           |            |
|  | बोंगाईगांव टीपीपी                           | सी      | यू-1     | 250             | 4375.35                        | 4375.35                      | जुलाई-14                        | 3886.00                   | मई -13     |
|  |   | सी      | यू-2     | 250             |                                |                              | मई -15                          |                           |            |
|  |   | सी      | यू-3     | 250             |                                |                              | अक्टूबर -15                     |                           |            |
|  | नामरूप सीसीजीटी                             | एस      | जीटी     | 70              | 693.73                         | 693.73                       | मार्च-14                        | 297.40                    | जून-13     |
|  |   | एस      | एसटी     | 30              |                                |                              | जून-14                          |                           |            |
| <b>बिहार</b>   |   |         |          |                 |                                |                              |                                 |                           |            |
|  | बाढ़ एसटीपीपी- I                            | सी      | यू-1     | 660             | 8693.00                        | 8692.97                      | जून-15                          | 7050.74                   | मई -13     |
|  |   | सी      | यू-2     | 660             |                                |                              | अप्रैल-16                       |                           |            |
|  |   | सी      | यू-3     | 660             |                                |                              | फरवरी-17                        |                           |            |
|  | बाढ़ एसटीपीपी- II                           | सी      | यू-1     | 660             | 7341.04                        | 7341.04                      | अक्टूबर -13                     | 5997.04                   | मई -13     |
|  |   | सी      | यू-2     | 660             |                                |                              | सितंबर -14                      |                           |            |
|  | नबि नगर टीपीपी( एनटीपीसी एवं रेलवे का जेवी) | सी      | यू-1     | 250             | 5352.51                        | 5352.51                      | जुलाई-14                        | 2621.00                   | जून-13     |
|  |   | सी      | यू-2     | 250             |                                |                              | जनवरी-15                        |                           |            |
|  |   | सी      | यू-3     | 250             |                                |                              | जुलाई-15                        |                           |            |
|  |   | सी      | यू-4     | 250             |                                |                              | जनवरी-16                        |                           |            |
|  | मुजफ्फरपुर एक्सपें ( बीएसईबी का जेवी)       | सी      | यू-3     | 195             | 3154.33                        | 3154.33                      | मार्च-14                        | 1010.35                   | मार्च-13   |
|  |   | सी      | यू-4     | 195             |                                |                              | सितंबर -14                      |                           |            |
| <b>छत्तीसगढ़</b>   |   |         |          |                 |                                |                              |                                 |                           |            |
|  | मारवा टीपीपी                                | एस      | यू-1     | 500             | 4735.00                        | 6318.00                      | दिसंबर-13                       | 4852.80                   | जून-13     |
|  |   | एस      | यू-2     | 500             |                                |                              | मार्च-14                        |                           |            |
|  | अवंथा भंडार                                 | पी      | यू-1     | 600             | 2872.00                        | 2872.00                      | अक्टूबर -13                     | 3168.00                   | जून-13     |

|                   |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|-------------------|---|----|-----------------------------|-----|--------------|--------------|-------------|----------|---|
|                   | बाल्को टीपीएस                             | पी | यू-1                        | 300 | 4650.00      | 4650.00      | मार्च-14    | 3494.30  | मई -13  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 300 |              |              | फरवरी-14    |          |   |
|                   | लैंको अमरकंटक                             | पी | यू-3                        | 660 | 6886.00      | 7700.00      | अक्टूबर -14 | 5810.05  | मार्च-13  |
|                   |   | पी | यू-4                        | 660 |              |              | मार्च-15    |          |   |
|                   | अकालतारा टीपीपी फेज-I                     | पी | यू-1                        | 600 | 16190.0<br>0 | 16190.0<br>0 | दिसंबर-13   | 11036.14 | अप्रैल-13   |
|                   |   | पी | यू-2                        | 600 |              |              | जून-14      |          | ( छः इकाई)  |
|                   | रायगढ़( तमनार) टीपीपी                     | पी | यू-1                        | 600 | 12800.00     | 12800.00     | अक्टूबर -13 | 5200.00  | मार्च-13  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 600 |              |              | मार्च-14    |          | ( चार इकाई)   |
|                   | सिंघीतराई टीपीपी                          | पी | यू-1                        | 600 |              |              | मार्च-15    | 2706.15  | जून-13<br>( दो इकाई)                                |
|                   | बारादरहा टीपीपी ( डीबी पावर)              | पी | यू-1                        | 600 | 6533.00      | 6533.00      | अक्टूबर -13 | 4747.00  | दिसंबर-12   |
|                   |   | पी | यू-2                        | 600 |              |              | मार्च-14    |          |   |
|                   | बिंजकोट टीपीपी ( एसकेएस)                  | पी | यू-1                        | 300 | 5058.00      | 6848.10      | नवंबर -14   | 2321.02  | जून-13  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 300 |              |              | फरवरी-15    |          | ( चार इकाई)   |
|                   |   | पी | यू-3                        | 300 |              |              | सितंबर -15  |          |   |
|                   | उच्चपिंडा टीपीपी( आरकेएम) ( फेज-I एवं II) | पी | यू-1                        | 360 | 6653.61      | 6653.61      | जून-14      | 6146.29  | जून-13  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 360 |              |              | नवंबर -14   |          | ( चार इकाई)   |
|                   |   | पी | यू-3                        | 360 |              |              | जनवरी-15    |          |   |
|                   | वंदना टीपीपी                              | पी | यू-1                        | 135 | 1458.44      | 1458.44      | सितंबर -13  | 1492.00  | जुलाई-12  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 135 |              |              | दिसंबर-13   |          |   |
|                   | बंडाखर टीपीपी                             | पी | यू-1                        | 300 | 1456.00      | 1456.00      | मई -14      | 902.87   | अप्रैल-13   |
|                   | टीआरएन टीपीपी                             | पी | यू-1                        | 300 | 2844.00      | 2844.00      | अगस्त-14    | 621.00   | मार्च-13  |
|                   |   | पी | यू-2                        | 300 |              |              | दिसंबर-14   |          |   |
|                   | स्वास्तिक टीपीपी                          | पी | यू-1                        | 25  | 136.00       | 142.00       | दिसंबर-13   | 160.21   | अप्रैल-13   |
|                   |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
| <b>दिल्ली</b>     |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|                   | प्रगति सीसीजीटी - III                     | एस | ब्लॉक--<br>II<br>एसटी-<br>2 | 250 | 5195.81      | 5195.81      | सितंबर -13  | 2996.01  | जून-13<br>( प्रत्येक 750<br>मेगावाट के दो<br>ब्लॉक) |
| <b>गुजरात</b>     |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|                   | सिक्का टीपीएस एक्सटें.                    | एस | यू-3                        | 250 | 2004.00      | 2356.00      | अप्रैल-14   | 2235.59  | मई -13  |
|                   |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|                   | पिपावाव सीसीपीपी                          | एस | ब्लॉक-<br>I                 | 351 | 2354.29      | 3029.00      | दिसंबर-13   | 2383.32  | जुलाई-13<br>( दो इकाई)                              |
| <b>झारखंड</b>     |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|                   | बोकारो टीपीएस 'क' एक्सटें.                | सी | यू-1                        | 500 | 2313.00      | 3552.18      | अक्टूबर -14 | 1795.75  | मार्च-13  |
|                   | माताश्री उषा टीपीपी (कॉर्पोरेट),<br>फेज I | पी | यू-1                        | 270 | 2900.00      | 3200.00      | सितंबर -14  | 3120.00  | नवंबर -12   |
|                   |   | पी | यू-2                        | 270 |              |              | दिसंबर-14   |          |   |
|                   |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
| <b>महाराष्ट्र</b> |   |    |                             |     |              |              |             |          |   |
|                   | चंद्रपुर टीपीपी                           | एस | यू-8                        | 500 | 5500.00      | 5500.00      | फरवरी-14    | 3251.96  | मई -13<br>( दो इकाई)                                |
|                   | पार्ली टीपीएस                             | एस | यू-8                        | 250 | 1375.00      | 1696.24      | फरवरी-14    | 1327.81  | अप्रैल-13   |
|                   | कोराडी टीपीएस एक्सटें.                    | एस | यू-8                        | 660 | 11880.0<br>0 | 11880.0<br>0 | मार्च-14    | 7164.72  | मई -13 ( तीन इकाई)                                  |
|                   | अमरावती टीपीपी स्टे-I                     | पी | यू-2                        | 270 | 6888.00      | 6888.00      | नवंबर -13   | 5838.81  | जून-13  |
|                   |   | पी | यू-3                        | 270 |              |              | फरवरी-14    |          | ( पांच इकाई)  |
|                   |   | पी | यू-4                        | 270 |              |              | मई -14      |          |   |

|                 |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|-----------------|---------------------------|----|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|-----------------------------|
|                 |                           | पी | यू-5  | 270 |          |          | अगस्त-14    |         |                             |
|                 | नासिक टीपीपी फेज I        | पी | यू-1  | 270 | 6789.00  | 6789.00  | अक्टूबर -13 | 4554.55 | जून-13                      |
|                 |                           | पी | यू-2  | 270 |          |          | दिसंबर-13   |         |                             |
|                 |                           | पी | यू-3  | 270 |          |          | नवंबर -14   |         |                             |
|                 |                           | पी | यू-4  | 270 |          |          | जनवरी-15    |         |                             |
|                 |                           | पी | यू-5  | 270 |          |          | मार्च-15    |         |                             |
|                 | धारीवाल इंफ्रा टीपीपी     | पी | यू-1  | 300 | 2850.00  | 3479.00  | सितंबर -13  | 3128.00 | जुलाई-13                    |
|                 |                           | पी | यू-2  | 300 |          |          | जनवरी-14    |         |                             |
|                 | एमको बरोरा टीपीपी         | पी | यू-2  | 300 | 3480.00  | 4000.00  | अगस्त-13    | 3808.00 | जून-13<br>( दो इकाई )       |
|                 | लैंको विदर्भ टीपीपी       | पी | यू-1  | 660 | 6936.00  | 6936.00  | दिसंबर-15   | 3611.00 | जुलाई-13                    |
|                 |                           | पी | यू-2  | 660 |          |          | अगस्त-16    |         |                             |
| <b>म. प्र.</b>  |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|                 | श्रीसिंगाजी(मालवा) टीपीपी | एस | यू-1  | 600 | 4053.00  | 6750.00  | सितंबर -13  | 5358.65 | जून-13                      |
|                 |                           | एस | यू-2  | 600 |          |          | मार्च-14    |         |                             |
|                 | सतपुरा टीपीएस एक्सटें     | एस | यू-11 | 250 | 2350.00  | 3032.34  | अक्टूबर -13 | 2574.17 | जून-13<br>( दो इकाई )       |
|                 | सासन यूएमपीपा             | पी | यू-2  | 660 |          |          | अक्टूबर -13 | 3471.00 | मार्च-11<br>( छः इकाई )     |
|                 | अनूपपुर टीपीपी फेज-I      | पी | यू-1  | 600 | 6240.00  | 6240.00  | नवंबर -14   | 2779.00 | जुलाई-12                    |
|                 |                           | पी | यू-2  | 600 |          |          | मार्च-15    |         |                             |
|                 | गोर्गी टीपीपी             | पी | यू-1  | 660 | 3941.00  | 3941.00  | जून-16      | 335.18  | जनवरी-13                    |
|                 | सिओनी टीपीपी              | पी | यू-1  | 600 | 3550.00  | 3550.00  | मार्च-14    | 2448.00 | मई -13                      |
| <b>ओडिशा</b>    |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|                 | देरांग टीपीपी             | पी | यू-1  | 600 | 5961.00  | 5961.00  | जनवरी-14    | 4547.35 | जून-13                      |
|                 | कमलंगा टीपीपी             | पी | यू-2  | 350 | 4540.00  | 6307.00  | सितंबर -13  | 6189.79 | जून-13                      |
|                 |                           | पी | यू-3  | 350 |          |          | दिसंबर-13   |         | ( तीन इकाई )                |
|                 | इंड भारत टीपीपी           | पी | यू-1  | 350 | 3185.00  | 3185.00  | नवंबर -13   | 3000.00 | अप्रैल-13                   |
|                 |                           | पी | यू-2  | 350 |          |          | मार्च-14    |         |                             |
|                 | लैंको बाबंध               | पी | यू-1  | 660 | 6930.00  | 6930.00  | मार्च-16    | 4214.00 | मार्च-13<br>( दो इकाई )     |
|                 |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|                 | कैवीके निलांचल            | पी | यू-1  | 350 | 4990.00  | 4990.00  | दिसंबर-14   | 1272.53 | जुलाई-13<br>( तीन इकाई )    |
| <b>पंजाब</b>    |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|                 | गोइंदवाल साहिब            | पी | यू-1  | 270 | 2622.48  | 2963.81  | सितंबर -13  | 2883.11 | जून-13                      |
|                 |                           | पी | यू-2  | 270 |          |          | फरवरी-14    |         |                             |
|                 | राजपुरा टीपीपी(नाभा)      | पी | यू-1  | 700 | 9600.00  | 9600.00  | जनवरी-14    | 6355.00 | जून-13                      |
|                 |                           | पी | यू-2  | 700 |          |          | अप्रैल-14   |         |                             |
|                 | तलवंडी साबो               | पी | यू-1  | 660 | 10250.00 | 10250.00 | दिसंबर-13   | 8873.78 | जून-13                      |
|                 |                           | पी | यू-2  | 660 |          |          | अप्रैल-14   |         |                             |
|                 |                           | पी | यू-3  | 660 |          |          | जुलाई-14    |         |                             |
| <b>राजस्थान</b> |                           |    |       |     |          |          |             |         |                             |
|                 | छाबरा एक्सटें टीपीएस      | एस | यू-3  | 250 | 2200.00  | 2990.00  | सितंबर -13  | 2557.34 | जून-13                      |
|                 |                           | एस | यू-4  | 250 |          |          | मार्च-14    |         |                             |
|                 | रामगढ़ सीसीपीपी स्टे III  | एस | एसटी  | 50  | 640.00   | 640.00   | दिसंबर-13   | 551.95  | जून-13<br>( जीटी+<br>एसटी ) |
|                 | कालीसिंघ टीपीपी           | एस | यू-1  | 600 | 4600.00  | 7723.00  | सितंबर -13  | 7085.29 | जून-13                      |

|          |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|----------|---|----|-------------------|-------|----------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| तमिलनाडु |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|          | नेवेली टीपीएस II एक्सपें.                                 | सी | यू-2              | 250   | 2030.78  | 3027.59  | मार्च-14    | 2324.85 | अप्रैल-13             |
|          | तुतीकोरीन टीपीपी  | सी | यू-1              | 500   | 4909.54  | 6478.92  | फरवरी-14    | 4409.31 | जून-13                |
|          |   | सी | यू-2              | 500   |          |          | अप्रैल-14   |         |                       |
|          | वल्लूर टीपीपी फेज-II                                      | सी | यू-3              | 500   | 3086.78  | 3086.78  | फरवरी-14    | 1478.16 | जून-13                |
|          | नार्थ चेन्नई एक्टें. टीपीएस                               | एस | यू-1              | 600   | 3398.00  | 3552.00  | सितंबर -13  | 2046.05 | जून-13                |
|          | इंड बर्थ (तुतीकोरीन) टीपीपी                               | पी | यू-1              | 660   | 3595.00  | 3595.00  | मार्च-16    | 530.00  | अप्रैल-13             |
| त्रिपुरा |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|          | त्रिपुरा सीसीपीपी   | सी | ब्लॉक-<br>II      | 363.3 | 3429.00  | 3429.00  | अक्टूबर -13 | 2977.00 | मार्च-13              |
|          | मोनार्चक सीसीपीपी   | सी | जीटी<br>+<br>एसटी | 101   |          |          | मई -14      | 572.96  | जून-13                |
|          |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
| उ. प्र.  |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|          | रिहंद एसटीपीपी स्टे.-III                                  | सी | यू-6              | 500   | 6230.81  | 6230.81  | नवंबर -13   | 4354.00 | मार्च-13<br>(दो इकाई) |
|          |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|          | अनपारा डी टीपीपी  | एस | यू-1              | 500   | 5358.79  | 5358.79  | अप्रैल-14   | 4425.51 | मार्च-13              |
|          |   | एस | यू-2              | 500   |          |          | जुलाई-14    |         |                       |
|          | प्रयागराज(बारा) टीपीपी                                    | पी | यू-1              | 660   | 11622.27 | 11622.27 | जुलाई-14    | 6753.85 | जून-13                |
|          |   | पी | यू-2              | 660   |          |          | दिसंबर-14   |         |                       |
|          |   | पी | यू-3              | 660   |          |          | मार्च-15    |         |                       |
| प. बं.   |   |    |                   |       |          |          |             |         |                       |
|          | रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I                                    | सी | यू-1              | 600   | 4122.00  | 6744.99  | मार्च-14    | 5799.59 | मार्च-13              |
|          |   | सी | यू-2              | 600   |          |          | जुलाई-14    |         |                       |
|          | हल्दिया टीपीपी  | पी | यू-1              | 300   | 3097.50  | 3097.50  | अगस्त-14    | 1036.91 | मार्च-13              |
|          |   | पी | यू-2              | 300   |          |          | नवंबर -14   |         |                       |
|          | सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र |    |                   |       |          |          |             |         |                       |

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 29.8.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 3177 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ पहुँचाने वाले निर्माणाधीन न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाओं\* की सूची

| क्रम सं. | परियोजना का नाम       | राज्य    | क्षेत्र  | क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का संभावित वर्ष |
|----------|-----------------------|----------|----------|------------------|---------------------------|
| 1        | केएपीपी यू-3,4        | गुजरात   | केंद्रीय | 1400             | 2015-16                   |
| 2        | आरएपीपी यू 7 और 8     | राजस्थान | केंद्रीय | 1400             | 2016-17                   |
| 3        | कुडनकुलम यू 1         | तमिलनाडु | केंद्रीय | 1000             | 2013-14                   |
| 4        | कुडनकुलम यू 2         | तमिलनाडु | केंद्रीय | 1000             | 2014-15                   |
| 5        | पीएफबीआर (कलपक्कम)    | तमिलनाडु | केंद्रीय | 500              | 2014-15                   |
|          | <b>कुल न्यूक्लीयर</b> |          |          | <b>5300</b>      |                           |

\* न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाएं आण्विक ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में है



भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*\*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3214

जिसका उत्तर दिनांक 29.08.2013 को दिया जाना है ।

ओडिशा में एन.टी.पी.सी. की परियोजना

†3214. श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या विद्युत मंत्री ओडिशा में दरलीपाली में एन.टी.पी.सी. की मेगा पॉवर परियोजना के बारे में 07 मार्च, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस परियोजना को शुरू किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

दरलीपाली में एनटीपीसी की वृहत परियोजना की भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की प्रगति निम्नवत है:-

- 1274 निजी भूमि में से, 1205 एकड़ पर वास्तविक कब्जा मिल गया है।
- 338.97 एकड़ सरकारी भूमि में से एनटीपीसी द्वारा, 275 एकड़ भूमि के लिए राज्य सरकार को भुगतान जारी किया जा चुका है और सरकारी भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एमओईएफ) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(ईएसी) द्वारा 9.1.2012 को परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश की गई है, बशर्ते कि दरलीपाली परियोजना के लिए वन स्वीकृति और संबद्ध दुलंगा कोयला खान के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रदान की जाए ।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 14.8.2013 को कुछ शर्तों के साथ 34.47 एकड़ वन भूमि के डाइवर्जन के लिए चरण-। वन स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त की है।

दरलीपाली से संबद्ध दुलंगा कोयला खदान के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा भूमि के मुआवजे के लिए भूमि की दरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुलंगा के चरण-। वन प्रस्ताव पर 10.6.2013 को हुई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सहायकार समिति(एफएसी) में विचार-विमर्श किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त(एमओएम) 3.7.2013 को जारी किया गया था, जिसमें वन सलाहकार समिति ने ओडिशा की राज्य सरकार और क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर से खान की सीमा के बाहर 49.41 हेक्टेयर वन क्षेत्र की आवश्यकता की समीक्षा करने और उसका औचित्य बताने को कहा था। एनटीपीसी क्षेत्रीय कार्यालय(पूर्वी क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भुवनेश्वर और ओडिशा राज्य वन विभाग के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

परियोजना का निवेश अनुमोदन परियोजना और संबद्ध दुलंगा खान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात प्रदान किया जाएगा। परियोजना को चालू करने के लिए निर्धारित समय निवेश अनुमोदन की तारीख से 52 माह है।

\*\*\*\*\*

